

अध्याय V: कर प्रशासन

भारत में सेज ने 2006-07 और 2012-13 के मध्य ₹ 83,104.76 करोड़ (आईटी ₹ 55,158; अप्रत्यक्ष कर ₹ 27,946.76 करोड़) तक की राशि की कर रियायत का लाभ लिया था। कर निर्धारणों की हमारी संवीक्षा से ₹ 1,150.06 करोड़ (आयकर ₹ 4.39; अप्रत्यक्ष कर ₹ 1,145.67 करोड़ तक की राशि की अयोग्य छूटों/कटौतियां देने और ₹ 27,130.98 करोड़ तक की राशि के अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर प्रशासन में प्रणाली कमियों के कई उदाहरणों का पता चला।

देश में सेज के प्रोत्साहन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उपाय के रूप में एमएटी/डीडीटी से छूटों की वापसी पर कारबार द्वारा विचार किया गया था।

सेज केन्द्र के साथ-साथ राज्य करों की विभिन्न रियायतों/छूटों का लाभ लेते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय बजट के साथ प्रस्तुत की गई केन्द्रीय कर व्यवस्था के तहत छोड़े गए राजस्व के वार्षिक विवरण विभिन्न योजनाओं के तहत कर व्यय/छोड़े गए राजस्व को परिमाणित करते हैं। 2006 से 2013 की अवधि हेतु प्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क के कारण सेज पर कर व्यय ₹ 83104.76 करोड़ था। तथापि, छोड़े गए राजस्व का यह विवरण सेज के सम्बंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा शुल्क के कारण छोड़े गए राजस्व को सम्मिलित नहीं करता है। इसके अलावा, किसी निगरानी तंत्र के अभाव में राज्य विधियों अर्थात् स्टॉम्प ड्यूटी, वीएटी, सीएसटी आदि के तहत रियायतों को परिमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए, ये आकलन छोड़े गए राजस्व का यथार्थ वर्णन नहीं देते। तथापि, 2004 तथा 2010 के बीच एक अध्ययन में वित्त मंत्रालय ने सेज को दिए गए कर अवकाशों से ₹ 1,75,487 करोड़ की हानि का अंकन किया। वि.व. 08 से वि.व. 12 के दौरान सीबीईसी तथा सीबीडीटी द्वारा छोड़े गए राजस्व को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

	योजना	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11	वि.व.12
सीमा शुल्क	सेज	1803.95	2324.29	3987.06	8630.16	4559.87
	डीईपीबी (सेज)	29.29	4.52	19.51	20.15	4.52
	डीबीके (सेज)	14.84	4.45	12.28	17.85	2.55
	कुल सेज	1848.04	2333.41	4080.85	8668.16	4566.94
	अन्य योजनाएं	66331.15	58839.82	48587.54	62360.32	64111.45
	मदों पर	85414	164579	181344	159103	202015
प्रत्यक्ष कर	सेज	3000	3313	5515	6637	12667

इस भाग के तहत हमने इस रूप जिसमें ये रियायतें सेज विकासक/इकाईयों को स्वीकृत की गई थी, में नोट की गई कर वार कमियों की श्रेणी की चर्चा की है।

प्रत्यक्ष कर

5.1 निर्यात आय की वसूली हेतु कोई समय सीमा नहीं

आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 10ए/10बी/10बीए/10एए के अधिनियमन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है जिससे विदेशी मुद्रा प्रेषण के साथ अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

भारत के अन्दर समय पर 'विदेशी मुद्रा प्रेषण' धारा 10ए, धारा 10बी तथा धारा 10एबी में वर्णित अन्तर्निहित उद्देश्य है। तथापि, धारा 10एए में ऐसा कोई प्रावधान बनाया नहीं गया जिसके कारण भारत के अन्दर 'विदेशी मुद्रा' के समय पर प्रेषण का उद्देश्य विफल हो जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई ने अपनी दिनांक 01 अप्रैल 2003 की परिपत्र संख्या 91 तथा दिनांक 01 जुलाई 2009 की मास्टर परिपत्र संख्या 09/2009-10 के अनुसार सेज से निर्यात आय की वसूली के लिए उसकी बारह माह अथवा विस्तारित अवधि के अनुबंध को हटाने का निर्णय लिया। तदनुसार, सेज में इकाईयों द्वारा किए गए निर्यात की वसूली के लिए समय सीमा हेतु कोई प्रावधान नहीं था, इसके अलावा, ऐसी इकाईयों जो रत्न तथा आभूषण के व्यवसाय में हैं, के मामले में, उनको निर्यातित आभूषण की कीमत के बराबर कीमती धातुओं (सोना/चाँदी/प्लैटिनम) के रूप में निर्यात भुगतान प्राप्त करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि इसके लिए बिक्री अनुबंध किया जाए तथा कीमती धातु का अनुमानित मूल्य प्रासंगिक रूपों में सूचित किया जाए।

आर्थिक मन्दी तथा उससे जुड़ी बाधाओं के संबंध में सत्व, विशेष आवधिक अन्तरालों (यद्यपि यह प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है) पर इकाईयों के आर्थिक उत्पादन को निगरानी करने के प्रावधान का अभाव योजना के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

नि.व. 2009-10 के लिए कुछ निदर्शी मामलें अर्थात् मै. सुजलॉन वाइंड इंटरनेशनल लिमिटेड, सीआईटी-III, बेंगलोर, कर्नाटक तथा मै. एस.ई. ब्लेडस लिमिटेड, सीआईटी-III, बेंगलोर, कर्नाटक में हमने पाया कि 31 मार्च 2009 की समाप्ति तक क्रमशः ₹ 1,579.50 करोड़ तथा ₹ 347.71 करोड़ की राशि की निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई थी। इसी प्रकार, नि.व. 2011-12 के लिए मै. टाटा कन्सल्टेंसी लिमिटेड, एक को-डेवलपर-कम-यूनिट (आईडीसीओ सेज) उड़ीसा के मामलें में पता चला कि जनवरी 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए ₹ 10.44 करोड़ की निर्यात आय 3 वर्ष से अधिक तक बकाया थी।

डीओआर ने धारा 10ए/10बी आदि तथा 10एए में विसंगति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर (25 अप्रैल 2014) में बताया कि एमओसीएवंआई द्वारा सेज अधिनियम 2005 के माध्यम से आयकर में धारा 10एए को सम्मिलित किया गया था तथा बारह माह में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को आरबीआई द्वारा पहले ही अधिदेशित किया गया था परन्तु 2009 में इस शर्त को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि डीओआर द्वारा इस शर्त की समाप्ति के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया।

इसके अलावा, अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि आरबीआई ने जून 2013 में बारह माह के अन्दर आय की वसूली के लिए निर्देश जारी किए हैं।

लेखापरीक्षा को यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 11/06/2013 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सेज इकाईयों द्वारा विदेशी विनिमय के स्वदेश लौटने की समय सीमा बारह माह है। इस परिपत्र को विदेश विनिमय प्रबंधन (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली 2000, के साथ पठित विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के अनुसार विदेश विनिमय के विनियम के लिए जारी किया जाता है तथा जो आयकर अधिनियम 1961 के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, धारा 10एए के तहत कटौती का दावा करने के लिए निर्यात आय के समय पर प्रेषण हेतु आयकर अधिनियम 1961 में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

5.2 आयकर अधिनियम, 1961 में स्पष्टता में कमी

आयकर अधिनियम, 1961 में निम्नलिखित मामलों को स्पष्टता की आवश्यकता है।

आयकर की धारा 10ए/10एए/10बी/10एबी 'प्रोफिट ऑफ दी बिजनेस', 'टोटल टर्नओवर ऑफ दी बिजनेस' शब्दों का वर्णन नहीं करती जिससे निर्धारितियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार अपने 'व्यापार लाभों' तथा 'व्यापार के कुल कारोबार' को सुधारने का अवसर मिलता है जो कटौतियों के गलत दावों को सहज बनाता है।

निर्धारिती या तो सामान्य प्रावधानों के तहत या धारा 115 जेबी के समयोजित बुक लाभ जो भी उनके लिए लाभदायक हो, के तहत 'व्यवसाय लाभों' की गणना करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि भारत से बाहर सेवा देने के लिए माल ढुलाई, दूरसंचार शुल्क या निवेश तथा विदेशी विनिमय व्ययों जैसे खर्चों को 'निर्यात कारोबार' से अलग रखना चाहिए, तथापि इन व्ययों को 'व्यवसाय के कुल कारोबार' से भी बाहर रखा जा रहा था।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2014) कि आयकर अधिनियम 10ए/10बी के तहत कटौती मर्दों या वस्तुओं के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ तथा प्राप्ति के संदर्भ में हैं। धारा 10एए के तहत, सेवाओं से व्युत्पन्न लाभ तथा प्राप्ति पर कटौती भी उपलब्ध है। धारा 10एए की उपधारा (7) अनुबंधित करती है कि सामग्री या वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ तथा प्राप्ति वह राशि होनी चाहिए जो इकाई के व्यवसाय व इसी अनुपात के लाभ के लिए वहन की जाती है क्योंकि ऐसी सामग्री या वस्तुओं या सेवाओं संदर्भ में कारोबार यूनिट द्वारा किए गए व्यवसाय के कुल कारोबार को वहन करता है।

धारा 10एए के तहत कटौती के उद्देश्य हेतु 'व्यवसाय लाभ' को 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्ति' शीर्षक से संबंधित आयकर अधिनियम के अध्याय-IV की भाग घ के प्रावधानों के अनुसार संगणित किया जाना है। धारा 10एए के तहत कटौती के उद्देश्यों हेतु, 'निर्यात कारोबार' शब्द को एक विशिष्ट अर्थ दिया गया है। 'कुल कारोबार' जैसे अन्य शब्दों की परिभाषा के अभाव में अधिनियम का शब्दकोशीय अर्थ होगा। इसलिए, धारा 10एए के तहत कटौती

के उद्देश्यों के लिए व्यवसाय के लाभ को अध्याय-IV घ के अनुसार संगणित किया जाना है तथा ऐसे लाभ वह खाता लाभ नहीं है जिन पर एमएटी दायित्व निर्धारित हो।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि धारा 10एए(7) की उप-धारा(7) निर्यात कारोबार तथा कुल कारोबार के बीच दर के लिए समानुपात में संगणित की जाने वाली कटौती राशि तथा अध्याय-IV के भाग घ के अनुसार संगणित होने वाले व्यवसाय या कारोबार के लाभों को परिभाषित करती है तथापि, धारा 10एए के तहत कटौती के उद्देश्यों के निर्मित उपक्रम के 'व्यवसाय या कारोबार के लाभ' क्या होने चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता, चाहे 'अन्य आय' तथा आय जिसका निर्यात से कोई सम्बंध नहीं है, को भी धारा 10एए के तहत कटौती के लिए परिमाणित किया जाएगा। इसी प्रकार, 'उपक्रम का कुल कारोबार' को भी परिभाषित नहीं किया जाता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि एमएटी तथा डीडटी पहले ही लगाए जा चुके हैं। कर लाभों में अन्य कमी सेज इकाईयों को अव्यहार्य बना देगी।

सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि धारा 10एए(7) में उल्लिखित शब्द 'व्यवसाय लाभ' आयकर अधिनियम के अध्याय-IV के भाग घ के प्रावधानों के अनुसार संगणित लाभ का अर्थ होता है। यह उत्तर भी दिया गया कि लेखापरीक्षा के अवलोकन में उल्लिखित अनुसार खाता लाभों के लिए 'व्यवसाय लाभ' शब्द की व्याख्या करने हेतु यूनिट के लिए यह खुला नहीं है।

निर्यात कारोबार का अर्थ धारा 10एए के स्पष्टीकरण 1 में इसे दिया गया अर्थ होगा। तथापि, किसी परिभाषा के अभाव में, 'कुल कारोबार' का इसका शब्दकोशीय अर्थ होगा।

लेखापरीक्षा को यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 10एए की उप-धारा(7) निर्यात कारोबार तथा कुल कारोबार के बीच दर के लिए समानुपात में संगणित की जाने वाली कटौती राशि को परिभाषित करती है। व्यवसाय या कारोबार के ऐसे लाभ को अध्याय-IV के भाग घ के रूप में संगणित किया जाना है।

यद्यपि, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि धारा 10ए के तहत कटौती के उद्देश्यों के लिए निर्मित उपक्रम के 'व्यवसाय या कारोबार के लाभ' क्या होने चाहिए, चाहे 'अन्य आय' अथवा 'आय' जो निर्यात के साथ संबंधित नहीं है, को भी कटौती के लिए परिमाणित किया जाएगा।

शब्द 'उपक्रम का कुल कारोबार' (अधिनियम में परिभाषित नहीं) के लिए शब्दकोशीय अर्थ अपनाना स्पष्ट रूप से अधिनियम में बचने का रास्ता है तथा निर्धारितियों को अधिक लाभकारी कटौती को परिमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तथापि, 'उपक्रमों के लाभ' तथा 'उपक्रमों के कुल कारोबार' शब्दों को परिभाषित न करने के लिए यथार्थ कारण की अपने उत्तर में व्याख्या नहीं की गई।

5.3 डीडीटी को पुनः प्रारम्भ करने के संदर्भ कराधान तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता

लाभांश के तरीके से सेज के अन्दर घरेलू कम्पनियों द्वारा 01 जून 2011 को अथवा उसके पश्चात् घोषित, वितरित या भुगतान की गई कोई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115-ओ की उप-धारा (6) के नीचे परन्तुक द्वारा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) योग्य है। इसके अलावा, एमएटी के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को नि.व. 2012-13 में सेज के अन्दर यूनिट संचालन के लिए पुनः प्रारम्भ किया गया। जब सेज अधिनियम को लागू किया गया तो 115जेबी की उपधारा-6 तथा 115ओ की उपधारा-6 को एमएटी तथा डीडीटी के भुगतान से सेज के अन्दर विकासको/यूनिटों को पूरी तरह छोड़कर आईटी अधिनियम में प्रारम्भ किया गया। तथापि, इन जोनो से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लक्षित एक योजना हेतु नि.व. 2012-13 तथा 01 जून 2011 के दौरान इन करों को पुनः प्रारम्भ करने से डीटीए परिचालनों की तुलना में इसके सम्बंधित आकर्षण कम होते हैं। इसके अलावा, यह इन जोनो में निवेशकों के लिए एक अस्थिर राजकोषीय शासन का संकेत देते हैं, विदेशी मुद्रा प्रवाह को आगे प्रभावित करते हैं तथा इस प्रकार दीर्घावधि में यह प्रतिकूल हो रहा है।

डीओआर ने एक्जिट बैठक में कहा (29 अप्रैल 2014) कि एमएटी/डीडीटी कुछ नहीं अपितु आगामी वर्ष में समायोजित किए जाने वाले अग्रिम कर हैं, दूसरे शब्दों में, यह केवल विकासक/यूनिट के नकद प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इसे ऐसे मामलों जहां विकासक/यूनिट ने आयकर लाभ लिया, से बचने के लिए प्रारम्भ किया गया तथा कुछ समय बाद योजना से बाहर होने का विकल्प किया।

डीजीईपी ने आगे कहा कि सेज में नई आईटी/आईटीईएस यूनिट परिचालन कर रही थी तथा एमएटी/डीडीटी लगाने के कारण, गैर-सेज यूनिटों में निर्मित माल की तुलना में सेज में निर्मित माल की इनपुट कीमत में वृद्धि हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि डीओसी ने डीडीटी वापिस लेने के लिए वित्त मंत्रालय को अनुरोध किया है परन्तु अभी तक उसको सहमति नहीं दी गई है।

सीबीडीटी ने अपने उत्तर (जून 2014) में कहा कि एमएटी इस सिद्धांत पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजकोष में योगदान देना होगा। लक्ष्मी देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी इसे उद्धृत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभी फैसलों में “आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र अनिवार्य रूप से तदर्थ तथा प्रयोगात्मक है। चूँकि आर्थिक मामले अत्यंत जटिल होते हैं, अतः यह अनिवार्य रूप से विशेष स्थिति के विशेष उपचार के लिए आवश्यक होता है। इसलिए राज्य के पास योजना बनाने के तरीके तथा आर्थिक या नियामक उपायों का व्यापक अक्षांश बचता है तथा न्यायालय को कानून द्वारा या संविधान द्वारा तब तक मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जब तक इस क्षेत्र के अन्दर अतिक्रमण या ऐसे कानून अमान्य हो।”

लेखापरीक्षा राजकोष में योगदान के संदर्भ में इस तथ्य तथा राज्य के पास आर्थिक मामलों से निपटने के लिए सारे अधिकार हैं, की भी सराहना करता है। तथापि, इस प्रभाव के विषय में लेखापरीक्षा तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि सेज योजना की तुलना में सम्पूर्ण आर्थिक मत पर एमएटी एवं डीडीटी को पुनः प्रारम्भ किया गया था। सेज के पणधारियों अर्थात् विकासक तथा यूनिटों

द्वारा लेखापरीक्षा तथ्यों का भी अनुसरण किया जाता है जिसका विवरण पैराग्राफ 6.4 में उल्लिखित है।

5.4 धन कर के प्रावधानों का उपयोग करने में विफलता

धन कर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अनुसार – औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारितियों द्वारा रखी गई किसी अनुपयुक्त भूमि सहित अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्ति को इनके अधिग्रहण की तिथि से 2 वर्षों की अवधि हेतु अथवा 10 वर्षों की अवधि के लिए व्यापारगत माल की भांति परिसम्पत्ति के रूप में व्यवहारित नहीं किया जाता है। हमने पाया कि सेज विकासकों का भूमि के बड़े हिस्से में आधिपत्य था तथा कुछ मामलों में भूमि के टुकड़े को धारा 2(ईए) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य अवधि की तुलना में एक लम्बी अवधि के लिए खाली रखा है। यह पाया गया कि मूल रूप से संवीक्षा हेतु निर्धारण का चयन उन निर्धारितियों को कवर करता है जो सक्रिय रूप से व्यवसाय परिचालन कर रहे हैं। तथापि भूमि जो विभिन्न कारणों से किसी यूनिट को आवंटित नहीं की जाती, को धन कर अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करने के उद्देश्यों के लिए निगरानी नहीं की जाती। ऐसे मामलों के विवरण की व्याख्या नीचे दी गई है:

राज्य का नाम	शामिल सेज की संख्या	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	अधिसूचना की शीघ्रतिशीघ्र तिथि
आंध्र प्रदेश	22	1408.13	12/2006
गुजरात	13	925.92	09/2007
कर्नाटक	6	378.334	08/2006
महाराष्ट्र	88	8987.90	04/2007
राजस्थान	2	61.943	09/2003
तमिलनाडु	23	1239.861	04/2007
पश्चिम बंगाल	13	953.629	08/2007
कुल	167	13955.717	

डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि सेज में भूमि की विशेष संदर्भ में जांच की जानी है क्योंकि इसका उपयोग सेज के अन्दर आने वाली यूनिटों पर निर्भर करता है तथा सेज में यूनिटों का प्रवेश तथा निकासी बाजार स्थिति, सरकारी नीतियों आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर है। यदि प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात बीओए प्रत्येक मामले के गुण पर निर्भर होने वाले

औपचारिक अनुमोदन को बढ़ाया जाता है तो लेखापरीक्षा अवलोकन प्रांसगिक नहीं हो सकता है।

यद्यपि, सीबीडीटी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि मामला सीबीडीटी के विचाराधीन है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों को समयावधि की तुलना में प्रत्येक सेज में अनुपयुक्त भूमि को निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं जिसके लिए उसे खाली छोड़ा है। क्षेत्रीय अधिकारियों को बारीकी से मॉनीटरिंग करने तथा सेज में आने वाली शहरी भूमि जो धन कर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) में निहित स्पष्टीकरण 1 के पैरा (बी) में निहित अनुसार शहरी भूमि की परिभाषा में दी गई छूट से बच जाती है, के धन कर अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए जहां भी आवश्यकता हो, का निर्देश दिया गया है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अंतिम परिणाम सूचित कर सकता है।

5.5 प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन में परिवर्तन

शासन से जुड़े निवेश में, निर्दिष्ट व्यवसाय को त्वरित मूल्यहास का अनुभव होगा अन्य शब्दों में जिसका तात्पर्य है कि नया शासन पूँजी वृद्धिकर उद्योगों का पक्ष लेगा। एक उदाहरण जहां बहु-उत्पाद सेज कुल क्षेत्रों का केवल 4 प्रतिशत बनाते हैं, में यह परिवर्तन अधिक पूँजी वृद्धिकर (बहु-उत्पाद) उद्योगों की स्थापना प्रारम्भ करेगा। यह अकुशल व्यक्तियों को अधिक रोजगार की सुविधा देगा। तथापि, इस परिवर्तन का अन्य पक्ष उन क्षेत्रों जहां आईटी क्षेत्रों सहित 'नियोजित वृद्धिकर उद्योग' जो पूँजी वृद्धिकर तथा पूँजी की कम आवश्यकता वाले नहीं हैं, को प्रभावित करेगा। यह रोजगार प्रदान करने के सेज के उद्देश्य के विपरीत हो सकता है।

इसके अलावा, पुनः आरम्भ हो रहे एमएटी तथा डीडीटी के साथ, डीटीए यूनिटों द्वारा प्रदत्त कर सेज यूनिटों द्वारा प्रदत्त कर की तुलना में कम है जैसाकि नीचे वर्णित किया गया है:

कम्पनी द्वारा देय कर यदि इसका परिचालन घरेलू टैरिफ क्षेत्र तथा सेज में किया जाता है, निम्नानुसार होगा:

नि. व. 2012-13	डीटीए	सेज	
	32.445 प्रतिशत {30% + 5% (एससी) + 35 (एसएचईसी)}	एमएटी 20.008 प्रतिशत (18.5% + 5% एससी + 3% एस.एच.ई.सी)	डीडीटी 16.995 प्रतिशत 15% + 10% + 3% एस.एच.ई.सी
प्रभावी टैक्स : 37.003 प्रतिशत			

उक्त दृष्टान्त कई यूनिटों की प्रस्तावित परियोजनाओं के विस्तार, रिसाइजिंग तथा दी-नोटिफिकेशन की मांग करने के कारणों से संबंधित प्रश्न का आंशिक रूप से उत्तर दे सकता है। यद्यपि, यह इस दृष्टान्त का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्योंकि इसके अन्य मान्य कारण भी हो सकते हैं; निम्नलिखित चार्ट एमएटी तथा डीडीटी के पुनः प्रारम्भ के पश्चात दी-नॉटिफिकेशन की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है:

	2009	2010	2011	2012	2013
आंशिक डी-नॉटिफिकेशन	1	3	5	7	5
पूर्ण डी-नॉटिफिकेशन	4	7	10	6	4

इस मत का भी विकासक/यूनिटों के लिए योजना से उनके एक्जिट हेतु कारकों पर सर्वेक्षण प्रश्नावली के एक प्रश्न के उत्तर में विकासक/यूनिटों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं में अनुकरण किया गया।

इंजीनियरिंग उद्योग में सेज तथा डीटीए में शुल्क ढांचे तथा करो की तुलना

सेज तथा डीटीए में शुल्क ढांचे तथा करो की तुलना	
सेज इंजीनियरिंग उद्योग	डीटीए इंजीनियरिंग उद्योग
पूँजी पर शून्य सीमा शुल्क	पूँजीगत माल पर 7.5% सीमा शुल्क (शून्य यदि यूनिट निर्मात छोड़े गए शुल्क का 6 गुना हो)
पूँजीगत माल पर शून्य सीवीडी	पूँजीगत माल पर सीवीडी 12% + 3% उपकर + 3% शिक्षा उपकर + 4% अतिरिक्त शुल्क (शून्य यदि यूनिट निर्यात छोड़े गए शुल्क का 6 गुना हो)
सीएसटी - शून्य	सीएसटी - 2%
सीएसटी - 2%	वेट 14.5% (उत्खनक)-इसे इनपुट पर वेट के प्रति समायोजित किया जा सकता है
उत्पाद शुल्क-शून्य	12% पर देय उत्पाद शुल्क (जून 2014 तक अब 10%)
सेवा कर-दी गई या प्राप्त की गई सेवाओं के लिए शून्य	दी गई तथा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए देय 10.5% सेवा कर
प्रथम 5 वर्षों हेतु कोई आयकर नहीं (एमएटी 18.5% देय)	प्रथम वर्ष से देय आयकर

2 रे. 5 वर्षों के लिए 50% आयकर अर्थात् 16.5% परन्तु एमएटी 18.5% पर लागू है	सभी वर्षों में देय आयकर
2 रे. 5 वर्षों के लिए 50% आयकर अर्थात् 16.5% परन्तु एमएटी 18.5% पर लागू है	सभी वर्षों में देय आयकर
कच्चे माल के आयात पर कोई शुल्क नहीं (शुल्क+सीवीडी+एसएडी)	देय शुल्क परन्तु आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस को 20% अतिरिक्त मूल्य के साथ लिया जा सकता है
शुल्क के साथ डीटीए + सीवीडी+एसएडी विषय हेतु+एनएफई के लिए बिक्री	सेज हेतु निर्यात शुल्क फिरती प्राप्त करता है
अध्याय 3 के लाभ नहीं	अध्याय 3 के लाभ लागू
निर्यात पर शुल्क फिरती शून्य	उत्पाद श्रेणी के अनुसार स्वीकृत फिरती
<p>उदा. यदि सेज निर्यात में एक कम्पनी 100 निवल वसूली ₹100 हेतु है। यदि लाभ 10% है तो कर बचत ₹10 = ₹1.45 की (33%*-18.5%=14.5 %) है, इसलिए प्रभावी वसूली = ₹100+ ₹1.45 = ₹101.45</p> <p>डीटीए यूनिट के मामले में, 50% अन्तर्निहित आयात के साथ ₹100 के लिए निर्यात जिसके लिए सीमा शुल्क 7.5% = 3.75 है। यूनिट 4% = ₹4 फिरती तथ अध्याय 3 के ₹4 के एफटीपी लाभ भी प्राप्त करता है। यद्यपि, यूनिट सेज यूनिट की तुलना में अतिरिक्त कर = 14.5% का भुगतान करता है (जैसाकि यूनिट उपरोक्त सेज यूनिट के मामले में किसी कर की बचत नहीं करती है)। इसलिए, प्रभावी वसूली ₹(100-3.75+ 4+4-1.45) = ₹102.80 है। अतः डीटीए में कार्य करना लाभकारी है।</p> <p>* 30% (कर) + 10% (एससी)</p>	

डीओसी ने यह स्वीकार करते हुए कि एमएटी तथा डीडीटी को प्रारम्भ करने से सेज योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है तथा सेज में एमएटी तथा डीडीटी के प्रारम्भ के पश्चात् दी नॉटिफिकेशन की संख्या में वृद्धि हुई है, अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि सेज की दी-नोटिफाई करने का निर्णय वैश्विक मंदी, उद्योग कारणों, स्थानीय कारकों आदि जैसे कारकों के एक होस्ट पर निर्भर हो सकता है।

सिफारिश: डीओआर निम्नलिखित के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 तथा धन कर 1957 का निरीक्षण कर सकता है:

- I. विदेशी मुद्रा प्रेषणों के लिए समय पर प्रेषण की आवश्यकता है जिसे धारा 10ए, 10बी तथा धारा 10बीए के मामलों में धारा 10एए के तहत प्रदान नहीं किया गया;
- II. आयकर की धारा 10ए/10एए/10बी/10बीए जो 'व्यवसाय के लाभ, 'व्यवसाय का कुल कारोबार' शब्दों को परिभाषित नहीं करती

जिससे निर्धारित को अपनी उपयुक्तता के अनुसार, अपने 'व्यवसाय के लाभ तथा 'व्यवसाय का कुल कारोबार' को सुधारने का एक अवसर मिलता है जिसके फलस्वरूप छूट के गलत दावे हुए;

- III. धन कर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) जिसमें निर्धारितों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्ति के अधिग्रहण की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु व्यापारगत माल के रूप में रखी गई भूमि सम्मिलित होती है, का दुरुपयोग; तथा
- IV. एक अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित डीटीए यूनिटों की तुलना में सेज में डीडीटी तथा एमएटी के उद्ग्रहण का प्रभाव।

प्रत्यक्ष कर: अनुपालन मुद्दे

आयकर अधिनियम कुछ शर्तों के अधीन सेज में परिचालन के लिए निर्धारितियों को छूट प्रदान करता है। ऐसी शर्तों के अनुपालन न होने से संबंधित अनुपालन मामलों में ₹ 785.74 करोड़ के कर प्रशासन में कमियां शामिल थी। निम्नलिखित तालिका लाभ उठाए गए उद्योग-वार आईटी तथा नमूने के तौर पर लिए निर्धारितियों में स्वीकृत अयोग्य कटौती की मात्रा को दर्शाती है। यद्यपि, आईटी सेक्टर देश में स्वीकृत/परिचालन यूनिटों की संख्या के अनुसार नम्बर एक का स्थान प्रदान करता है तथापि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ली गई आयकर छूटों की मात्रा के अनुसार आईटी क्षेत्र से आगे निकल गया।

उद्योग का नाम	विकासक/यूनिटों की संख्या	आईटी कटौती की राशि (₹ करोड़ में)		स्वीकृत अयोग्य कटौती का प्रतिशत	सम्मिलित राज्य
		स्वीकृत	लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अयोग्य राशि		
सूचना प्रौद्योगिकी	10	96.59	11.75	12	एपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, टीएन, यूपी, डब्ल्यूबी
फार्मास्यूटिकल्स	7	343.89	145.58	42	एपी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश
बहु-उत्पाद	-	0	0	-	
अन्य	43	1401.46	632.24	45	एपी, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, टीएन, यूपी, डब्ल्यूबी

उद्योग वार मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

5.6 कटौती के अधिक दावे

मामला कानून डीसीआईटी बड़ौदा बनाम रमेशभाई सी.प्रजापति आईटीएटी अहमदाबाद सी बेंच में यह निर्णय लिया गया कि धारा 40(ए)(आईए) के तहत व्यय की पाबन्दी को किसी कटौती के लिए परिमाणित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, धारा 36(1)(वीए) के तहत भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि आदि के लिए कर्मचारियों के योगदान की पाबंदी को अन्य स्रोत¹⁵ जिसे किसी कटौती के लिए परिमाणित नहीं किया जाएगा, से प्रमुख आय के अन्तर्गत अभिकलन किया जाना है।

मै. एक्सविएन्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्रा. लि., सीआईटी नोएडा-उत्तर प्रदेश नि.व. 2009-10 के मामले में, यह देखा गया था कि धारा 10ए के तहत ₹ 27,62,799 तक की कटौती को फार्म 56एफ में जो धारा 10ए(5) के साथ पठित धारा 10ए(8) के तहत अनिवार्य है, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिना स्वीकृति से किया गया तथा इसलिए कटौती को अस्वीकृत करने की आवश्यकता है। कम मांग ₹ 8,56,072 तक की थी।

5.7 हानि का गलत अभिकलन

धारा 80ए(2) के अनुसार किसी भी मामले में कटौती की कुल राशि निर्धारिती की सकल कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नि.व. 2010-11 के लिए मै. अन्सर्ट एंड यंग प्रा.लि., सीआईटी-III कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मामले में, धारा 10ए तथा 10एए के तहत ₹ 55,86,57,869 की कुल कर योग्य आय के प्रति ₹ 63,76,99,495 पर कटौती को स्वीकृति दी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,90,41,626 की हानि का गलत निर्धारण हुआ। संभावित कर प्रभाव ₹ 1,68,46,696 आकलित था।

¹⁵ धारा 56(2)(आईसी) के साथ पठित धारा 2(24)(एक्स)

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र

5.8 कटौती का अधिक दावा

नि.व. 2010-11 के लिए मै. बायोकोन रिसर्च लि., सीआईटी-1 बेंगलूर, कर्नाटक के मामले में, हमने देखा कि ₹ 38,44,00,000 की गैर-प्रतिदाय राशि को अनुसन्धान तथा विकास कार्यकलाप करने के लिए मै. माइलॉन जम्भ, स्विट्जरलैंड से प्राप्त किया गया था जिस पर धारा 10ए के तहत फॉर्म 56एफ जो धारा 10ए(5) के साथ पठित धारा 10ए(8) के तहत अनिवार्य है, में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिना ₹ 15,46,72,345 तक का कटौती दावा किया गया। तथापि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 7,68,80,000 (₹ 38,44,00,000 की कुल राशि का 20 प्रतिशत) की आय आकलित की तथा धारा 10ए के तहत उस सीमा तक कटौती स्वीकृत की।

हमने देखा कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई ₹ 38,44,00,000 की राशि किसी सामग्री या वस्तु के निर्यात या कोई सेवा देने के कारण नहीं अपितु 'मै. मायॅलान तथा बाॅयोकोन कॉलेबोरेशन के लिए प्रारम्भिक निष्पादन' के उद्देश्य हेतु थी तथा इसीलिए इसे कटौती के लिए परिमाणित नहीं किया जाएगा। तथापि, ₹ 7,68,80,000 की कटौती के गलत भत्ते को कर के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। कर प्रभाव ₹ 2.61 करोड़ था। यह उत्तर दिया गया कि (जनवरी 2014) मामले की जांच की जाएगी।

फोलिएज तथा हस्तकला क्षेत्र

5.9 स्टॉक के अन्तर-यूनिट हस्तांतरण तथा गणना किए गए लाभ के लिए कटौती के गैर-प्रतिबंध की जांच करने में विफलता

नि.व. 2010-2011 तथा 2011-2012 के लिए मै. वाची इंटरनेशनल प्रा. लि., सीआईटी-111 कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मामलों में, गैर-सेज यूनिट से सेज यूनिट को क्रमशः ₹ 1,76,29,081 तथा ₹ 2,42,05,506 के अन्तर-यूनिट स्टॉक हस्तांतरण की धारा 143(3) के तहत नियमित निर्धारण को पूर्ण करते हुए जांच नहीं की गई [धारा 80आईए की उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 10ए की उप-धारा (9)]। इसके अलावा, ₹ 80,67,795 के उपलब्ध लाभ की

राशि के लिए ₹ 84,73,452 की कटौती को प्रतिबंधित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 1,25,348 के परिणामी संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 4,05,657 की हानि का गलत निर्धारण हुआ।

अन्य

5.10 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्रस्तुत न करना

धारा 10ए(5) के साथ पठित धारा 10एए(8) के अनुसार, जब तक निर्धारिती फार्म 56एफ में लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत न करे तब तक कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

नि.व. के लिए परम्परा बिल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड, सीआईटी, मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मामले में निर्धारिती कम्पनी ने धारा 10ए के तहत फार्म 56एफ में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिना ₹ 34925 तक की कटौती को दावा किया।

अप्रत्यक्ष कर

सेज अधिनियम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर को सेज के अन्दर परिचालन हेतु कुछ शर्तों के अधीन छूट प्रदान करता है। ऐसी स्थिति जिसमें ₹ 28,396.97 करोड़ की कर प्रशासन कमी शामिल है, का पालन न होने से संबंधित अनुपालन मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

5.11 सेवा कर छूट के लेखांकन हेतु तंत्र का अभाव

सेज नियमों का नियम 12(1) अनुबंधित करता है कि विकासक उप-नियम (2) से (8) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत परिचालनों के लिए शुल्क, कर तथा उपकर के भुगतान के बिना डीटीए से माल तथा सेवाओं का आयात अथवा खरीद कर सकता है। जून 2010 से सेवाओं की शुल्क मुक्त खरीद को सम्मिलित किया गया। उप नियम 5 बताता है कि विकासक को एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि जिसे निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है, के अन्दर प्राधिकृत परिचालनों के लिए माल के उचित लेखांकन तथा उपयोग के संबंध में विकास आयुक्त और निर्दिष्ट अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से फार्म-डी में एक बांड-कम-लीगल अंडरटेकिंग (बीएलयूटी) को कार्यान्वित करना चाहिए।

हमने देखा कि यद्यपि विकासकों के लिए शुल्क मुक्त सेवाओं की अनुमति दी जा रही थी, तथापि विकासकों द्वारा लाभ उठाए गए सेवा कर के कारण छोड़े गए शुल्क का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस महत्वपूर्ण सूचना के बिना मॉनीटरिंग की जाती है भले ही छूट का लाभ उठाने यथा प्राधिकृत सेवाओं की सूची तथा फॉर्म ए-1 के लिए केवल डीसी/निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पात्रता दी जाए। इस कारण से विकासकों द्वारा लाभ लिए गए कुल अप्रत्यक्ष कर की गणना करते समय विकासक द्वारा ली गई सेवा कर छूटों को माना नहीं जा सकता। इसके अलावा, विकासक द्वारा सेवाओं की शुल्क मुक्त खरीद को नियम 12 जिसमें बांड कम लीगल अंडरटेकिंग (बीएलयूटी) की आवश्यकता को भी अनुबंधित किया गया था, के तहत सम्मिलित किया गया। इसलिए कुल छोड़े गए शुल्क को निगरानी करने के लिए बीएलयूटी के मूल्य को परिमाणित करते समय शुल्क मुक्त सेवा घटक भी कारक होने चाहिए।

इस परिवेश में, संबंधित डीसी के माध्यम से प्राप्त विकासकों द्वारा लाभ उठाई गई एसटी छूट के हमारे विश्लेषण से पता चला कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तथा उड़ीसा में 46 विकासकों/सह-विकासकों ने मार्च 2013 तक ₹ 1,559.43 करोड़ तक की एसटी छूट का लाभ उठाया था परन्तु इसे विस्तारित अप्रत्यक्ष कर लाभ की गणना करते समय डीसी द्वारा सत्यापित, निगरानी तथा हिसाब नहीं किया जा सका क्योंकि इसकी सुविधा के लिए कोई तंत्र नहीं था। सरकार के हित को संरक्षित किया जाएगा भले ही बांड-कम-लीगल अंडरटेकिंग (बीएलयूटी) द्वारा छूट को परिमाणित तथा कवर किया गया था।

हमें विश्वास है कि यह एक गंभीर जोखिम है जो राजस्व क्षरण को सुविधा देता है दुर्भाग्यवश जिसे डीसी स्तर पर या क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा निगरानी नहीं की जा रही थी। बचाव का यह मार्ग महत्व का दावा करता है क्योंकि विकासक के डी-नॉटिफिकेशन अनुरोध को डीसी की सिफारिशों पर आधारित बीओए द्वारा स्वीकृत किया जाता है जिसमें विकासक द्वारा लाभ उठाई गई कुल छूट की वसूली का विवरण दिया गया है। सेवा कर छूटों की गणना करने के लिए एक तंत्र के अभाव में, विकासक के लिए अनुचित लाभ को सुगम

बनाकर डीसी द्वारा वसूली किए जाने वाले कुल देयों की संगणना करना दोषपूर्ण है। ऐसे दो मामलों को बॉक्स-11 में दर्शाया गया है।

बॉक्स-11: देय सेवा कर की वसूली किए बिना स्वीकृत डी-नॉटिफिकेशन

बीओए ने तमिलनाडु (मै. एस्पोकोम्प इलेक्ट्रॉनिक्स तथा एस्ट्रा आईटी पार्क) में दो विकासको/यूनिटों द्वारा लाभ उठाई गई ₹ 33.01 लाख की सेवा कर छूट का संज्ञान लिए बिना डीसी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र पर निर्भर होने वाली डी-नॉटिफिकेशन को स्वीकृत किया।

बीओए ने अगस्त 2009 में अयोजित अपनी बैठक में, ₹ 31.46 लाख की एसटी छूट के भुगतान के अधीन मै. मंयटास गुन्डलापोचेमपेली, आंध्र प्रदेश में डी-नॉटिफिकेशन को स्वीकृत किया जिसका आज तक भुगतान नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

घटित मामलों को दर्शाया गया क्योंकि विभाग के पास सेवा कर के कारण स्वीकृत छूट की निगरानी तथा लेखांकन की कोई व्यवस्था नहीं थी।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि इस तथ्य पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा डीओआर द्वारा जारी दिनांक 01 जुलाई 2013 की अधिसूचना के अनुसार, सेवा कर के लाभ की मॉनीटरिंग के लिए तंत्र शामिल किया गया है तथा विकासक/यूनिट को क्षेत्राधिकार एसटी प्राधिकारी को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

पैरा 2 में बीएल्यूटी की शर्त विकासक द्वारा लाभ लिए गए सेवा कर छूट के प्रतिदाय हेतु प्रदान की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विकासक द्वारा लिए गए सभी शुल्क मुक्त लाभों को बीएल्यूटी के माध्यम से निर्दिष्ट अधिकारियों (सीमा शुल्क) द्वारा निगरानी कि जा रही थी और इसलिए विकासक द्वारा ली गई शुल्क मुक्त सेवा के मूल्य को बीएल्यूटी के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवलोकन में उठा मामला विकासक/यूनिटों द्वारा एसटी छूट का लाभ लेने तथा इसका विकासक/यूनिट द्वारा लिए गए तथा बीएल्यूटी के तहत कवर किए गए अप्रत्यक्ष कर लाभ की गणना करने के लिए डीसी द्वारा लेखांकन करने का था। तंत्र के विषय में डीओसी मौन है क्योंकि वे ऐसे मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए एसटी आयुक्तालय के साथ है।

सिफारिश: एमओसीएवंआई सेवा कर प्रशासन के लिए स्थापित व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है क्योंकि डीसी अथवा क्षेत्राधिकार एसटी आयुक्तालय द्वारा छोड़े गए एसटी का पता लगाने, लेखांकन करने तथा मॉनीटरिंग करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

5.12 सेवा कर की गलत छूट

सेवाओं के निर्यात नियम, 2005 में दो शर्तों के अधीन कर योग्य सेवाओं के निर्यात पर सेवा कर की छूट प्रदान की गई थी अर्थात् ऐसी सेवा भारत से उपलब्ध कराई जाती है तथा भारत से बाहर उपयोग की जाती है और भारत से बाहर दी गई ऐसी सेवा के लिए भुगतान को सेवा प्रदाता द्वारा परिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में मै. सत्यम बीपीओ लि., सत्यम कम्प्यूटर सर्विस लि. आईटी/आईटीईएस सेज, मधुपुर, हैदराबाद में एक सेज यूनिट भारत के साथ-साथ विदेश में विभिन्न ग्राहकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएं (आईटीएसएस) तथा अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगी थी जिसमें इसकी मूल कम्पनी मै. टेक महिन्द्रा तथा मै. सत्यम कम्प्यूटर लि. को प्रदान की गई सेवाएं भी सम्मिलित थी। निर्धारिती ने डीटीए में दी गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया तथा सेवा के निर्यात नियम 2005 के तहत अन्य सेवाओं के लिए छूट का दावा किया। तथापि, निर्यात किए जाने का दावा करनी वाली सेवाओं की संवीक्षा से हमने पाया कि इसकी मूल कम्पनियों को कुछ सेवाएं प्रदान की गई थी जिन्होंने भारत में स्थानों के लिए बिल दिया था तथा प्राप्त धन भारतीय मुद्रा में था जो उपर कहे गए नियमों का उल्लंघन है।

वर्ष 2011-12 के वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन के अनुसार, यूनिट ने अपनी मूल कम्पनियों के लिए ₹ 43.81 करोड़ का माना गया निर्यात किया है तथा निर्यात सेवा नियम 2005 के तहत छूट का दावा किया है जो गलत था तथा इसलिए @ 10.3 प्रतिशत जो ₹ 4.51 करोड़ है, पर सेवा कर उद्भ्रहाय है जिसकी ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

हमने यह भी देखा कि निर्धारिती जुलाई 2012 के बाद से इसी प्रकार के लेन-देनो (माना गया निर्यात) पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था जिसने

लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि की। तथापि, निर्धारिती ने प्रश्न में पूर्व अवधि के लिए किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

इसी प्रकार, बाँयोकोन सेज में मै. साईनजन इंटरनेशनल लि. (यूनिट-I से यूनिट-VI) के मामले में, कर्नाटक में, निर्यात का दावा करने वाली ₹ 47.94 करोड़ तक की राशि की सेवाओं को वास्तव में भारत में बिल भेजने वाली इसकी गुप कम्पनियों के लिए प्रदान किया गया तथा धन को भी भारतीय मुद्रा में प्राप्त किया गया था। दी गई सेवाओं पर ₹ 5.13 करोड़ की सेवा कर देयता को ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि सत्यम सेवाओं ने सेज के अन्दर सेवा प्रदान की तथा सारी राशि की वसूली एफई में की। सत्यापित करने हेतु मामला केवल यह था कि क्या डबल आईटी छूट ली गई थी। यद्यपि मै. सत्यम बीपीओ ने उनके द्वारा विदेशी ग्राहको को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की, तथापि मै. सत्यम बीपीओ द्वारा लेन-देन को सेवा के निर्यात के रूप में लिया जाना चाहिए। मै. सत्यम बीपीओ द्वारा दी गई सेवाओं के लिए मै. सत्यम द्वारा विदेशी मुद्रा में धन प्राप्त किया गया जिसने उन्हें बदले में भारतीय मुद्रा में भुगतान किया। आयुक्त (अपील) तथा सीईएसटीएटी ने इस विवाद को सही ठहराया है तथा अब यह निर्णय ले लिया गया है तो ऐसे लेन-देन को सेवाओं के निर्यात के रूप में व्यवहारित किया जाना है। उन्होंने “सेवा नियम, 2012 के प्रावधान की घोषणा” के व्यवस्थापन के पश्चात सेवा कर का भुगतान करना प्रारम्भ किया है।

सीईएसटीएटी ने दिनांक 4.11.2008 की निर्देश संख्या 1382 से 1386/2008 के अनुसार विदेश में स्थित ग्राहकों के लिए प्रदान की गई सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के लिए प्रतिदाय प्राप्त करने हेतु यूनिट को स्वीकृति दी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यात की जाने वाली सेवाओं को संसाधित करने के लिए विदेशी मुद्रा में आय प्राप्त करने की मूल शर्त को मै. सत्यम बीपीओ द्वारा पूरा नहीं किया गया है। यूनिट भारत में अपनी मूल कम्पनी (सत्यम तथा टेक महिन्द्रा) को सेवा प्रदान कर रही थी तथा इसे माने गए निर्यात जो निर्यात के सेवा नियम 2005 में परिकल्पित नहीं है, के रूप में एपीआर में वर्गीकृत कर

रही थी तथा इसलिए छूट के लाभ को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, सत्यम बीपीओ तथा इसकी मूल कम्पनी दोनों द्वारा सेवा के निर्यात के तहत दोहरे दावे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

5.13 प्रतिकूल प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर का भुगतान करने में विफलता

सेवा कर नियम, 1994 का नियम 2(1)(डी)(iv) निर्दिष्ट करता है कि विदेश से किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई या कराई जाने वाली और वित्त अधिनियम 1994 के धारा 66ए के अन्तर्गत भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी कर योग्य सेवा के संबंध में सेवा प्रदाता सेवा कर भुगतान के लिए दायी व्यक्ति है। सेज यूनितों के लिए धारा 66ए के तहत सेवा कर की छूट के लाभ को मार्च 2011 से प्रारम्भ किया गया है तथा पूर्व अवधि में ऐसी कोई छूट लागू नहीं थी।

हमने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में धारा 66ए के तहत मार्च 2011 से पूर्व अवधि के ₹ 287.52 करोड़ तक की राशि के शुरु से सेवा कर की छूट का गलत लाभ लेने के 33 मामलों देखे जिन्हें ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि, बाद की अवधि के लिए यूनिट को धारा 66ए के तहत प्रतिकूल प्रभार तंत्र के अन्तर्गत शुरु से सेवा कर देयता की छूट का लाभ उठाने के लिए निर्दिष्ट सेवाओं के रूप में सेवाओं की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

हमने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा राजस्थान में ₹ 128.28 करोड़ की गलत छूट वाले 23 मामलों देखे जिन्होंने प्रारम्भ से ही छूट का दावा करने के लिए वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जिसको ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा ने यह बताने की कोशिश की कि मार्च 2009 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए विदेश से सेज द्वारा ली गई सुविधाओं के लिए सेवा कर छूट उपलब्ध नहीं थी। भारतीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं सेवाकर अधिनियम की धारा 66 और विदेश से आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवाएं सेवाकर अधिनियम की धारा 66(ए) के तहत कवर की जाती हैं।

दिनांक 03.03.2009 की अधिसूचना के आधार पर, सरकार ने सेज यूनिट/विकासक द्वारा उपयोग की गई सेवाओं के लिए सेवा कर से प्रतिदाय द्वारा छूट आरंभ की जिसे अब तक बिना शर्त छूट प्राप्त थी। अन्य शब्दों में, 03.03.2009 से पूर्व सेवा प्रदाताओं को सेज यूनिट/विकासक को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक नहीं था। प्रतिदाय द्वारा छूट देने का तरीका वित्त अधिनियम की धारा 66 के तहत सेवा कर के भुगतान तक सीमित था। इस प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ए की शर्तों में रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत देय सेवाकर को बिना शर्त छूट मिलना जारी रहा।

सेज में पूरी तरह से उपयोग की गई ऐसी सेवाओं के संबंध में प्रतिदाय द्वारा छूट को अलग रखने के लिए दिनांक 03.03.2009 की अधिसूचना को संशोधित कर दिनांक 20.05.2009 की अधिसूचना जारी की गई थी। इस प्रकार ऐसी सेवाएं जिन्हें सेज में उपयोग किया गया है दोबारा बिना शर्त छूट प्राप्त हो जाती है।

उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों के दृष्टिगत, लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मामला कि आरआईएस सेज यूनिट मार्च 2009 से फरवरी 2011 के अवधि के लिए धारा 66 ए की शर्तों में भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं के संबंध में सेवाकर की दायी थी विधिवत रूप से तर्कसंगत नहीं है।

लेखापरीक्षा को उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज अधिनियम के तहत सेज विदेशी क्षेत्र मानी गई हैं किन्तु वित्त अधिनियम 1994 के तहत नहीं और इस प्रकार सेवा कर की दायी हैं जब तक विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त हो। सेवा कर से छूट का लाभ अधिसूचना सं. 17/2011 द्वारा मार्च 2011 से 66ए के तहत अनुमत था, और अतः छूट का लाभ अनुवर्ती अवधि के लिए अनुमत है बशर्ते अधिसूचना में निबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छूट का लाभ डीसी स्तर पर फार्म ए1 जारी कर और विशिष्ट सेवाओं की प्रकृति घोषित करके भी दिया जाता है। अतः हमारे विचार से अनुपालन के लिए कार्रवाई, केवल डीसी द्वारा प्रारंभ की जानी आवश्यक है।

5.14 सेवा कर का भुगतान न करना

3 मार्च 2009 की अधिसूचना की शर्तों में, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (105) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाएं, उक्त अधिनियम की धारा 66 के तहत सेवाकर दायरे में विशेष आर्थिक जोन या प्राधिकृत संचालन के लिए सेज के विकासक में स्थित यूनिट द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह पूरे सेवा कर, शिक्षा उपकर और उस पर उद्ग्राह्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से छूट प्राप्त है इस प्रकार ऐसी छूट जोन से असंबद्ध प्रचालनों में लगे विकासक/यूनिट को उपलब्ध नहीं है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(30 ए) की शर्तों में, आवासीय भवनों, नगर क्षेत्र, पंक्ति भवन परिसर इत्यादि के निर्माण पर 16 जून 2005 से प्रभावी सेवा कर लगाया जाएगा। हमने निम्नलिखित दो उदाहरणों में पाया कि संबंधित यूनिटों से देय कर की वसूली नहीं की गई थी।

(क) में. न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई एक सेज विकासक, 612 एकड़ जमीन के मालिक ने दो सेज अर्थात् लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर (312 एकड़) और मल्टी सेक्टर सर्विस (300 एकड़), को बढ़ावा देने के लिए बीओए से अनुमोदन प्राप्त किया था (जनवरी 2008)। इसके अतिरिक्त जाँच से पता लगा कि यद्यपि नौ यूनिटों जिन्होंने उक्त जोन में निर्माण और सेवा कार्य के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था ने केवल 2011-12 के दौरान ही कार्य शुरू किया, विकासक ने प्रत्येक क्षेत्र में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण प्रारंभ कर दिया था और सम्भावित ग्राहकों से 2007-08 से अग्रिम प्राप्त कर लिया था। पूर्ण निर्माण के दो चरणों में, 580 आवासीय अपार्टमेंट जोन के प्राधिकृत कार्यों से असंबद्ध व्यक्तियों को किराए पर दे दिए गए थे।

जोन के प्राधिकृत कार्यों से असंबंधित गतिविधियाँ करने के बावजूद विकासक ने इन आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान संभावित खरीददारों से प्राप्त ₹ 150.76 करोड़ की राशि की कुल आय पर ₹ 16.42 करोड़ तक के सेवा कर दायित्वों का निवर्हन नहीं किया।

(ख) पोत द्वारा माल के परिवहन की कर योग्य सेवा पर 1 सितम्बर 2009 से सेवा कर दायी है बशर्ते दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी के साथ सलग्न तालिका में सूचीबद्ध विशिष्ट माल के परिवहन पर छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 26/2012-एसटी में भारत में एक भाग से दूसरे भाग तक पोत से माल के परिवहन की कर योग्य सेवा के मूल्य के निर्धारण हेतु प्रभारित सकल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमत है।

मै. लार्सन एवं टुब्रो लिमिटेड, मॉड्यूलर फेब्रिकेशन फेसिलिटी, कट्टुपल्ली, तमिलनाडु की एक सेज इकाई ने अपना अन्तिम उत्पाद अर्थात “प्रोसेस कम लिविंग क्वार्टर्स प्लेटफार्म” मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड काकीनाडा कोस्ट, आन्ध्र प्रदेश की दीनदयाल फील्ड डेवलेपमेंट परियोजना के लिए ₹ 184.27 करोड़ के मूल्य पर 2012-13 के दौरान टग-मरटाइम मेसरा के साथ बार्ज-पोश जायंट-1 द्वारा परिवहन किया था और ₹ 37.27 करोड़ का परिवहन प्रभार का व्यय किया था। यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत पहली अधिसूचना में माल शामिल नहीं थे इकाई ₹ 2.30 करोड़ (₹ 37.27 करोड़ का 50 प्रतिशत का 12.36 प्रतिशत की दर से) माल घटे मूल्य पर गणना के सेवा कर की राशि के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो कि लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

(ग) सेज नियमावली के नियम 27 के उप-नियम 3 की शर्तों में गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र में शुल्क मुक्त सामग्री के आयात परिचालन और अनुरक्षण कार्य के लिए अनुमत नहीं होगा। अतः इस प्रकार ऐसे कार्य के लिए शुल्क/कर से छूट अनुमत नहीं है।

यद्यपि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खण्ड (90ए) के अनुसार “अचल सम्पत्ति को किराए पर देना” में किराए, पट्टे, ठेके, लाइसेंसिंग या व्यापार या वणिज्य को आगे बढ़ाने के उपयोग हेतु अचल सम्पत्ति के अन्य समान प्रबंधन शामिल है। इसके तहत स्पष्टीकरण 2 “अचल सम्पत्ति को किराए पर देना” में उस अचल सम्पत्ति के अधिकार या नियंत्रण के हस्तांतरण पर ध्यान दिए बिना, अचल सम्पत्ति में जगह के उपयोग की अनुमति या

स्वीकृति भी शामिल है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए अचल सम्पत्तियों को किराए पर देना “अचल सम्पत्ति को किराए पर देना” की सेवा के तहत 1 जून 2007 से सेवा कर की दायी है।

मै. एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड, कट्टुपल्ली ने एक ठेकेदार अर्थात् मै इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 85.45 करोड़ की निविदा लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति पर कट्टुपल्ली गांव में ‘आपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस आफ द कन्टेनर पोर्ट टर्मिनल दिया। तथापि इकाई ने इस तथ्य के बावजूद कि संचालन और अनुरक्षण को सेवा कर से छूट प्राप्त नहीं थी उपरोक्त उद्धृत नियमों की शर्तों में ₹ 10.20 करोड़ की राशि के सेवा कर के दायित्व का निर्वहन नहीं किया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि विशिष्ट मांग के मामले में गलत तरीके से लिए गए सेवा कर की वसूली के लिए एससीएन जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 16.42 करोड़ की राशि के लिए मै. न्यू चेन्नई टाउनशिप प्रा. लि. के मामले में विकासक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और मै. एल एण्ड टी शिपबिल्डिंग लि. के मामले में ब्याज सहित ₹ 2.30 करोड़ की सेवा कर की राशि के भुगतान के संबंध में सेवा कर विभाग को भेजा जा रहा है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्तिम परिणाम के बारे में सूचना दे सकता है।

5.15 अपर्याप्त बॉन्ड – कम कानूनी वचन

सेज नियमावली, 2006 का नियम 22 निबंधित करता है कि बॉन्ड एवं कानूनी वचन (बीएलयूटी) का मूल्य आयात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से अधिप्राप्त पूँजीगत माल, कच्चे माल इत्यादि की अनुमानित आवश्यकता पर तीन महीने के लिए या जैसा लागू हो आरोग्य प्रभावी शुल्क की राशि के बराबर होगा। जहाँ निष्पादित बीएलयूटी का मूल्य अतिरिक्त माल की आवश्यकता के कारण कम हो जाता है तो यूनिट या विकासक अतिरिक्त बीएलयूटी प्रस्तुत करेगा।

हमने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 13 मामलों में देखा कि जहाँ निष्पादित बीएलयूटीज का मूल्य ₹ 1037.71 करोड़ तक कम था और

अतिरिक्त बीएलयूटी प्रस्तुत नहीं किया गया था अधिसूचना के 8 वर्षों बाद बीएलयूटी निष्पादित करने का एक मामला जयपुर में पाया गया जिसे बॉक्स-12 में उजागर किया गया है।

बॉक्स-12: अधिसूचना के आठ वर्षों बाद बीएलयूटी का निष्पादन

राजस्थान में विकासक (रीको) ने दो सेज (जयपुर सेज I और II) के संबंध-में आठ वर्षों तक बीएलयूटी को प्रवेश नहीं किया। सेज जुलाई 2003 और फरवरी 2004 में अधिसूचित हुई थी और विकासक ने मई 2012 में ₹ 10 लाख के लिए संयुक्त रूप से बीएलयूटी निष्पादित किया अर्थात् अधिसूचना के 8 वर्षों बाद।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि आयात/स्थानीय अधिप्राप्ति के संबंध में बीएलयूटी राशि में किसी कमी के मामले में सेज इकाईयों को अतिरिक्त बीएलयूटी निष्पादित करने की सलाह दी गई है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्तिम परिणाम की सूचना दे सकता है।

5.16 प्रत्यक्ष निर्यात की तुलना में टर्नओवर

अन्य बातों के साथ साथ सेज के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में माल और सेवाओं के निर्यात का प्रोत्साहन सम्मिलित है। प्रत्यक्ष निर्यातों में गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वर्ष 2012-13 में अपने 62वें प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष निर्यात की आवश्यकता पर जोर दिया और इसलिए सिफारिश की कि एक सेज में एक इकाई द्वारा माल और सेवाओं के उत्पादन का कम से कम 51 प्रतिशत भारत से बाहर निर्यात होना चाहिए।

हमने आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 34 मामलों में पाया कि सेज इकाईयों अपने टर्नओवर का केवल शून्य से 46.91 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष निर्यात कर सकते थे जिसके फलस्वरूप माने गए निर्यात/डीटीए बिक्री द्वारा परन्तु विदेशों को वास्तविक प्रत्यक्ष निर्यात प्रभावित न करने से इकाईयों द्वारा विदेशों से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का योजना का मूल उद्देश्य असफल हो गया। नीचे बॉक्स-13 में एक विशिष्ट मामले पर प्रकाश डाला गया है:

बॉक्स-13: बिना प्रत्यक्ष निर्यात के यूनिट एनएफई अनुपालक बन गई

पश्चिम बंगाल में फाल्टा सेज में मै. गुसा-जोंगचेन इलैक्ट्रोटेक लि. को डिबॉडिंग की मंजूरी दे दी गई थी जबकि इकाई ने कभी भी तैयार माल की निकासी नहीं की थी। यूनिट केवल एफएसईजेड में अन्य यूनिटों के अपने सभी माल (कच्चा माल और पूँजीगत माल) की निकासी के द्वारा एनएफई अनुपालक बन गई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि यद्यपि सेज मुख्य रूप से सरकार की निर्यात संवर्धन नीति के घटकों के रूप में देखा जाता है किन्तु यह पूरी तरह से सही नहीं है जैसा कि सेज योजना के उपरोक्त उद्देश्यों से स्पष्ट है।

इकाई ईईएफसी खाते या एनएफई की गणना के लिए विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति डीटीए में अपना माल बेच सकता है। डीटीए खरीददार द्वारा खरीदा गया माल भी विदेशी मुद्रा को बचाने में मददगार हो सकता है क्योंकि यदि वह उसे सेज से खरीद नहीं सकते, तो उन्हें वह विदेशों से आयात करना पड़ सकता है जो देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व पर असर करेगा। माने गए निर्यात का संदर्भ आयात प्रतिस्थापन से है, जिसका प्रभाव विदेशी मुद्रा के बर्हिवाह की बचत पर प्रभाव है।

51 प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्यात प्राप्त करना सेज अधिनियम या सेज नियमों के तहत अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार इकाईयों को 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्यात प्राप्त न करने के लिए दोषी नहीं मान सकते। 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्यात का अधिरोपण कुछ इकाईयों को प्रभावित करेगा जिन्होंने सेज में पहले से निवेश अपने माने गए निर्यात को ध्यान में रखते हुए जो कि सेज नियमावली के नियम 53 के तहत एनएफई की गणना के लिए मौजूदा नीति के तहत अनुमत है, एनएफई अर्जन प्राप्त करने के विचार से किया हुआ है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पीएसी की 62वीं रिपोर्ट ने सिफारिश की कि एक यूनिट द्वारा माल और सेवाओं के उत्पादन का कम से कम 51 प्रतिशत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त,

जैसा कि सेज योजना में अपेक्षित है माने गए निर्यात के मामले में कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की जाती है।

5.17 सेज ईओयू और डीटीए यूनिटों के बीच लेवल प्लेयिंग फील्ड

ईओयू को शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी अधिप्राप्त कच्ची सामग्रीया और कुछ शर्तों के अधीन धरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में उनका अन्तिम उत्पाद लागू मूल सीमा शुल्क (बीजीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) का भुगतान कर बेचना अनुमत है जैसे कि अन्तिम उत्पाद आयात किया गया था। तथापि उन मामलों में जहाँ दोनो बीसीडी और सीवीडी शून्य हैं ईओयू डीटीए में अन्तिम उत्पादों की निकासी पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। डीटीए में एक यूनिट जो समान अन्तिम उत्पाद का उत्पादन/निकासी करती है, इस माल को शुल्क की 'शून्य' दर पर निकासी करेगा, किन्तु इन उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त इन्पुटों पर शुल्क देगा। इसने डीटीए यूनिटों को तुलनात्मक असुविधा में डाल दिया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए ईओयूज को 1 सितम्बर 2004 से प्रभावी शुल्क की 'शून्य' दर पर डीटीए में मंजूर ऐसे माल के निर्माण के लिए इनपुटों पर शुल्क छूट का वापिस भुगतान करना आवश्यक है।

यद्यपि डीटीए में यूनिटों को ऐसी सुरक्षा सेज नीति/अधिनियम के तहत प्रदान नहीं की गई थी। सेज यूनिटें गौण उत्पादों और सेवाओं सहित अपना माल डीटीए में 'शून्य' दर सहित लागू शुल्क के भुगतान पर बेच सकते हैं जिसमें ऐसे प्रयुक्त इन्पुटों पर छोड़े गए शुल्क को वापिस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 20 सेज यूनिटों में डीटीए में 'शून्य' दर पर निकासी किए गए अन्तिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग इन्पुटों पर छोड़े गए शुल्क का अनुपात ₹ 84.19 करोड़ निकला जिनकी सक्षम प्रावधानों के अभाव में वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, इस नीति ने डीटीए में या अन्य इओयू में समान यूनिटों की तुलना में सेज युनिटों को लाभप्रद स्थिति में रखा था।

एस्पेन सेज, कोयम्बदूर तामिलनाडू में तीन यूनिटों में उलटे शुल्क ढांचे का एक समान मामला पाया गया जिसने विन्ड मिलों के भागों के निर्माण के

लिए 2007 में एलओए प्रदान किया था। विडं मिल भागों पर सीमा शुल्क की कम दर के दृष्टिगत सेज यूनिटों को डीटीए में अधिक मंजूरी के लिए प्रोत्साहित किया गया था जोकि दिनांक 01 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 21/2002 सी शु की छूट की शर्तों में 5.30 और 7 प्रतिशत के बीच था जबकि अन्तिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग इनपुटों पर छूट के लिए देय शुल्क की दर 14 से 21 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, सक्षम प्रावधानों के अभाव में, इन तीन इकाईयों द्वारा डीटीए में बेचे गए अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल पर लिए गए ₹ 155.00 करोड़ की राशि के लाभ की वसूली नहीं की जा सकी जिससे अन्यथा ऐसी डीटीए बिक्री हतोत्साहित हो जाएगी।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि सेज के तहत यूनिटें ईओयू की तुलना में विभिन्न कर व्यवस्थाओं के तहत संचालित होती हैं। सेज यूनिटों को डीटीए में माल कर निकासी करते समय पूरे शुल्को का भुगतान करना होता है जबकि ईओयू में रियायती शुल्क हैं। सेज और ईओयू विभिन्न कानूनी ढांचे के तहत संचालित होते हैं और इनकी निर्धारित हकदारियां और देयताएं हैं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज, ईओयू और डीटीए यूनिटों द्वारा शून्य शुल्क दर के साथ डीटीए में अन्तिम उत्पादों की निकासी के मामले में ईओयूज को कच्चे माल के आयात के समय उठाए गए शुल्क लाभ का वापिस भुगतान करना आवश्यक है, इसी प्रकार, डीटीए यूनिटें भी आयातित इनपुटों पर शुल्क देयताएं वहन करती हैं, डीटीए में माल की निकासी के समय सेज यूनिटों को इनपुटों पर लिए गए किसी शुल्क लाभ का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार ईओयू और सेज दोनों को अलाभकारी स्थिति में डालता है।

सिफारिश: एमओसी एवं आई को डीटीए में ऐसे छूट प्राप्त माल की मंजूरी पर तैयार उत्पाद के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए इनपुटों पर छोड़े गए शुल्क की वसूली पर विचार करना चाहिए जैसा कि ईओयूज के मामले में किया गया है।

5.18 ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत सेज यूनिट को एग्जिट की अनुमति देते समय सकारात्मक एनएफई मानदंड पर विचार करने के लिए प्रावधानों का अभाव

ईओयूज को सकारात्मक एनएफई मान दण्ड की उपलब्धि के अधीन एफटीपी के पैराग्राफ 6.18 (डी) के अन्तर्गत प्रचालित ईपीसीजी योजना से एग्जिट की अनुमति दी गई है। तथापि, सेज नियमावली के नियम 74 के अन्तर्गत सेजो के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया गया है जो नकारात्मक एनएफई वाली यूनिटों और एग्जिट का विकल्प चुनने वाली गैर पारिचालित यूनिटों को अनुमति देता है।

हमने देखा कि ऐस्सार सेज गुजरात में एक सेज यूनिट में. हजीरा प्लेट लिमिटेड ने ₹ 285.49 करोड़ की एनएफई (2009-10) के संचित नकारात्मक एनएफई के साथ नियम 74 के अन्तर्गत सेज यूनिट (सितम्बर 2009) से एग्जिट के लिए आवेदन किया और वह ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत माल की निकासी करना चाहता था। इसी दौरान यूनिट को एससीएन जारी किया गया था (फरवरी 2010) जिस पर डीसी कासेज द्वारा निर्णय किया गया था जिसमें नकारात्मक एनएफई के लिए कार्रवाई को छोड़ दिया गया था और यूनिट को ₹ 1,880 करोड़ के संयंत्र को कुल मूल्य पर ₹ 414.77 करोड़ के छोड़े गए शुल्क के साथ ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत एग्जिट की अनुमति दे दी गई थी (फरवरी 2010)। इस प्रकार प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के अभाव में जैसा कि इओयूज योजनाओं के लिए विद्यमान थे, सेज यूनिटों को नकारात्मक एनएफई से साथ भी एग्जिट करना अनुमत है।

आगे यह देखा गया कि कासेज, गुजरात में मै. ईस्सार स्टील लि. में यूनिट को ईपीसीजी योजना के तहत एग्जिट की अनुमति दी गई थी (सितम्बर 2010) जबकि यूनिट उसकी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर सकी थी जिसके लिए एलओपी 2006 में दी गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि ईओयू योजना एफटीपी और एचबीपी द्वारा शासित है, जबकि सेज, सेज अधिनियम 2005 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। सेज

अधिनियम 2005 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों का अन्य अधिनियमों के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा जैसे तो एफटीपी और एचबीपी के तहत ईओयूके एग्जिट के संबंध में प्रावधानों की सेज यूनिट के एग्जिट से तुलना करना उचित नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईपीसीजी योजना के तहत ईओयू द्वारा एग्जिट के लिए समान प्रावधान उपलब्ध है बशर्ते कि ईओयू द्वारा सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति हो जबकि सेज के लिए समान प्रावधान प्रदान नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग ईपीसीजी योजना के तहत सेज यूनिटों को केवल सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के बाद एग्जिट करने की अनुमति पर विचार कर सकता है।

5.19 छोड़े गए शुल्क की राशि पर बीमा

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 65 के साथ पठित के दिनांक 20 सितम्बर 1995 के परिपत्र सं. 99/95 के अनुसार सौ प्रतिशत ईओयूज को व्यापक बीमा पॉलिसी कम से कम सीमा शुल्क के बराबर मूल्य के लिए जो आयत के समय नहीं उगाही गई, लेना अपेक्षित है।

हमने उल्लेख किया कि सेज अधिनियम नियमों में समान प्रावधानों के अभाव में छोड़े गए शुल्क की राशि के लिए सरकार के पक्ष में कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली गई जिससे हित को जोखिम में डाला गया, जबकि उसके सेज का काम ईओयू के काफी समान है।

डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (जून 2014) कि सेज नियमावली 2006 के नियम 22 के प्रावधान की शर्तों में प्रत्येक यूनिट को ईंधन, आयातित या शुल्क मुक्त अधिप्राप्ति सहित पूंजीगत माल, पुर्जों, कच्चे माल, घटकों और उपभोज्य वस्तुओं सहित माल के उचित उपयोग और लेखाकरण से संबंधित अपने दायित्वों के संबंध में बीएलयूटी का निष्पादन आवश्यक है। उक्त बांड कम एलयूटी का मूल्य आयात पर उद्ग्राह्य प्रभावी शुल्क की राशि या पूंजीगत माल, कच्चे माल, पुर्जों, उपभोज्य वस्तुओं, मध्यवर्ती, घटकों, भागों,

उनके निर्माण के लिए पैकिंग सामग्री जैसा लागू हो की प्रक्षेपित आवश्यकता के डीटीए से अधिप्राप्ति के बराबर होगी और इस प्रकार, सेज़ प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी के नाम पर माल के बीमे के लिए कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि विकास आयुक्त के समक्ष यूनिट द्वारा निष्पादित बीएलयूटी और कुछ नहीं है किन्तु सेज़ यूनिट द्वारा आयातित या डीटीए से अधिप्राप्त प्राधिकृत परिचालन के तहत माल, निर्यात/आयात के लिए परिवहन के तहत माल, उप-करार इत्यादि माल के लिए लागू शुल्क के वापिस भुगतान के लिए दी गई जमानत है। इसके अतिरिक्त, बीमा करवाना एक यूनिट एक व्यापारिक निर्णय है।

लेखापरीक्षा के मतानुसार सरकार का हित जोखिम में है इसलिए ईओयू की भान्ति छोड़े गए शुल्क के लिए बीमा नीति प्राप्त करने के लिए अधिनियम में उचित प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।

5.20 निर्यात दायित्व पूरा करने में विफलता

सेज़ अधिनियम 2006 का नियम 43सेज़ यूनिट द्वारा उप ठेकाकरण की अनुमति प्रदान करता है, डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए अर्धनिर्मित वस्तुओं और ईंधन सहित उपभोज्य वस्तुओं सहित बशर्ते सभी कच्चे माल की आपूर्ति डीटीए निर्यातक द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्मित माल को डीटीए निर्यातक की ओर से सेज़ यूनिट द्वारा सीधे निर्यात करने की आवश्यकता है। तथापि जब ईओयू की ओर से उप ठेकाकरण किया जाता है निर्यात सेज़ यूनिट या ईओयू द्वारा किया जा सकता है। सेज़ अधिनियम 2005 की धारा 2(एम) में परिभाषित “निर्यात” का अर्थ है, एक सेज़ से भारत से बाहर माल/सेवा ले जाना, डीटीए से एक सेज़ यूनिट/विकासक को आपूर्तियां और एक सेज़ यूनिट से दूसरी सेज़ यूनिट को आपूर्ति और इसमें माना गया निर्यात सम्मिलित नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में मै हेटैरो लैब्स (यूनिट-1) एपीआईआईसी जेडचेरला में एक सेज़ यूनिट ने ₹ 149.24 करोड़ की राशि के जिड़ोलाम-एन के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट अधिकारी और डीसी से उप ठेकाकरण की अनुमति ली। उप ठेका सामग्री की सम्पूर्ण मात्रा हेटैरो यूनिट III (ईओयू यूनिट) को भेजी गयी थी

और वहां से सामाग्री की प्रत्यक्ष निर्यात के साथ-साथ माने गए निर्यात के रूप में निकासी की गई थी। एफ ईओयू के माध्यम से सेज़ यूनिट द्वारा उप-ठेका सामाग्री के माने गए निर्यात व्यवस्थित नहीं हैं क्योंकि उक्त सामग्री सेज़ नियमावली के तहत प्रत्यक्ष निर्यात के लिए आवश्यक है। ईओयू द्वारा माने गए निर्यात के तहत ₹ 106.86 करोड़ की राशि के कुल जिडोलाम-एन की मंजूरी दी गई थी और इसलिए उपरोक्त लेन देन सेज़ अधिनियम के तहत निर्यात के रूप नहीं माना जा सकता।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि सेज़ यूनिट, सेज़ नियमवाली के नियम 43(बी) की शर्तों में, निर्दिष्ट अधिकारी से वार्षिक अनुमति के आधार पर, डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात का उप-ठेकाकरण कर सकता है बशर्ते डीटीए निर्यातक की ओर से यूनिट द्वारा सीधे अन्तिम उत्पाद का निर्यात किया जाएगा यदि ईओयू या ईएचटीपी यूनिट या एसटीपीआई यूनिट या बायो टेकनालजी पार्क यूनिट की ओर से उप-ठेकाकरण के मामले में अन्तिम उत्पाद यूनिट या तो ईओयू से या ईएचटीपी यूनिट या एसटीपीआई यूनिट या बायो टेकनोलजी पार्क यूनिट से निर्यात किया जा सकता है। तदनुसार निर्णय लिया गया था।

नियम 43(बी) निर्यात के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट के लिए उप ठेका प्रदान करता है निर्दिष्ट अधिकारी से वार्षिक अनुमति के आधार पर एक यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए उप ठेका कर सकता है निम्नलिखित शर्तों के अधीन कि अन्तिम उत्पाद घरेलू टैरिफ क्षेत्र निर्यातक की ओर से यूनिट द्वारा सीधे निर्यात किया जाता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क यूनिट या एक साफ्टवेयर तकनीकी पार्क यूनिट या बायो टेकनालोजी पार्क यूनिट की ओर से उप ठेको के मामले में अन्तिम उत्पाद यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनीकी पार्क या साफ्टवेयर तकनीकी पार्क यूनिट या बायो तकनीकी पार्क यूनिट से निर्यात किया जा सकता है।

उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज़ नियमावली के नियम 43(बी) के परन्तुक विशेष रूप से निर्धारित करता है कि उप ठेका आधार पर

निर्मित अन्तिम उत्पादों को अनिवार्य रूप से यूनिट या इओयू से निर्यात किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सेज नियमों में संदर्भित 'निर्यात की स्थिति' में माना गया निर्यात साम्मिलित नहीं है।

5.21 गैर-सेज माल को अप्रयुक्त सेज माल के रूप में निकासी की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप कम शुल्क लगाया जाना।

किसी भी सेज यूनिट द्वारा आयातित माल यदि अप्रयुक्त रह जाता है उसे लागू शुल्कों के भुगतान पर सेज नियमावली 2006 के नियम 34 के प्रावधानों के तहत डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है। सेज नियमावली 2006 का नियम 25 कहता है कि जहां एक उद्यमी या विकासक उस माल या सेवाओं का उपयोग नहीं करता है जिसके प्राधिकृत परिचालन पर छूटे, फिरती, उपकर और रियायतों का लाभ लिया गया हो या उस पर यथा गणना करने में असमर्थ हो उद्यमी या विकासक जैसा भी मामला हो ली गई छूटों, फिरती, उपकर और रियायतों के बराबर राशि वापिस करेगा।

मै कोस्टल एनर्जी सिस्टम्स, फाल्टा सेज पश्चिम बंगाल में एक सेज यूनिट ने अप्रैल 2008 से अगस्त 2008 के दौरान ₹ 5.67 करोड़ की कुल शुल्क छूट के साथ ₹ 17.87 करोड़ (औसत दर @ ₹ 35280/पीएमटी) तक 5065 एमटी "पाम फैट्टी एसिड" आयात किया। तथापि, यूनिट माल सेज परिसर में नहीं लाई और बंदरगाह के वेयरहाउस टैंक में उसे भंडार कर दिया और छः से आठ महीने की समाप्ति के बाद यूनिट ने डीसी, एफसेज (फरवरी 2009) को इस कच्चे माल को सेज यूनिटों के अप्रयुक्त कच्चे माल के रूप में मंजूरी देने का अनुरोध किया। डीसी एफसेज ने उक्त माल को डीटीए में मंजूरी देने की अनुमति दे दी। तदन्तर यूनिट माल को एफसेज में लाई और 2009 में विभिन्न चरणों में 5003 एमटी में डीटीए की निकासी आयातित मूल्य की तुलना में असामान्य रूप से कम घोषित मूल्य (@ ₹ 13750/पीएमटी) पर की (अर्थात् आयात मूल्य का लगभग एक तिहाई) और शुल्क का मूल्यांकन भी आयात कीमत पर विचार किए बिना आयात करने के समय माल के घोषित मूल्य पर किया गया।

चूंकि माल सेज यूनिट में लाया ही नहीं गया था, सेज अधिनियम, 2005 की धारा 2(ओ) के अनुसार उक्त माल पर सेज यूनिट के आयातित माल के रूप में विचार नहीं किया गया था और इसे सेज माल सेज अधिनियम 2005 और सेज नियमावली 2006 के सुसंगत प्रावधानों को आकर्षित करने वाली स्थिति के साथ डीटीए में निकासी नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, यदि यूनिट को अप्रयुक्त सेज माल के रूप में उक्त माल की निकासी अनुमति दी गई थी, यूनिट को सेज में इसके आयात के समय लिए गए ₹ 5.50 करोड़ की शुल्क छूट के लाभ के बराबर शुल्क का भुगतान करना चाहिए था बजाय के सेज नियमावली 2006 के नियम 25 के प्रावधानों की शर्तों में इसकी (अर्थात् ₹ 2.08 करोड़) निकासी के समय शुल्क भुगतान करने के। सेज नियमों के प्रावधानों के अननुपालन, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, के परिणामस्वरूप ₹ 3.42 करोड़ तक के शुल्क की कम उगाही हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि नियम 34 के तहत एक बार डीटीए में अप्रयुक्त माल की बिक्री की अनुमति देने के बाद, इसका नियम 25 पर अधिभावी प्रभाव पड़ा।

तथ्य यह रह जाता है कि नियम 25 और नियम 34 विरोधाभासी है क्योंकि दोनों नियम डीटीए में अप्रयुक्त माल की निकासी प्रदान करते हैं। तथापि निम्न मूल्य पर कम शुल्क के भुगतान से डीटीए में संबंधित यूनिटों के आयातित माल की बिक्री द्वारा नियम 34 के प्रावधान सेज योजना के दुरुपयोग के लिए मार्ग है।

5.22 डीटीए यूनिट को सेज द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा पर सीमा शुल्क

26 जून 2009 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2010 की धारा 60(1) के अनुसार डीटीए और सेज को गैर प्रसंस्करण जोन को सेज द्वारा आपूरित विद्युत ऊर्जा 16 प्रतिशत बीसीडी आकर्षित करेगा। दर 06 जून 2010 से कम दर पर संशोधित की गई थी जिसमें ईंधन के रूप में आयातित कोयले का प्रयोग 1000 मे.वा. से कम विद्युत परियोजनाओं के लिए दर को ₹ 40 प्रति 1000 के.वा. तक कम किया गया था। 18 अप्रैल 2012 से बीसीडी की शून्य दर पर और कम कर दिया गया था। दिनांक 16 मई 2005 की अधिसूचना सं.

45/2005 के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के तहत विशेष अतिरिक्त शुल्क के संबंध में जब माल बिक्रीवार था वैट के भुगतान से छूट प्राप्त है, छूट सेज डीटीए में बेचे गए माल के लिए उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 06 जून 2010 के सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 91/2010 के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के सेज निर्देश 67 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि सेज नियमावली 2006 के नियम 47(3) जोकि सेज से डीटीए को विद्युत की बिक्री से संबंधित है, को 06 सितम्बर 2010 से स्थगन में रखा जाएगा। 07 फरवरी 2011 के सेज का निर्देश सेज नियमावली के नियम 47(3) के निर्देश को संशोधित करने के लिए जारी किया गया था को 06 जून 2010 से स्थगन में रखा गया था। इसके अतिरिक्त कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।

मै. हिमतासिंगका लिनेनस, केआईएडीबी टेक्स्टाइल जोन बेंगलोर में एक में सेज यूनिट में सेज से डीटीए को विद्युत की डीटीए बिक्री के लिए 5/9/2010 तक की अवधि के लिए उद्ग्राह्य शुल्क ₹ 1.34 करोड़ निकला और सेज नियमावली 2006 के नियम 47(3) के कारण शुल्क न लगाए जाने से 06 जून 2010 से मार्च 2013 के लिए स्थगन में रखी गयी राशि ₹ 1.56 करोड़ थी।

इसी प्रकार, गुजरात में मै. अदानी पोर्टस के सह विकासक ने 5 सितम्बर 2010 तक डीटीए को बेची गई विद्युत के लिए दत्त शुल्क ₹ 46.62 करोड़ (@ 16 प्रतिशत) के प्रति ₹ 13.50 करोड़ (नियम 47 के तहत) था और इस प्रकार ₹ 33.12 करोड़ के अंतरीय शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, विकासक माननीय उच्च न्यायालय गया और अंतरिम राहत मिल गई और उसने विरोध के तहत शुल्क का भुगतान किया। विकासक को अंतरीय शुल्क पर बीजी लेने कसे कहा गया था किन्तु विकासक ने बीजी यह कहते हुए नहीं लिया कि इसकी मात्रा दोहरे शुल्क के भुगतान जितनी है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि सेज नियमावली 2006 के नियम 47(3) में अस्पष्टता/विसंगति जो सेज में विशेष आर्थिक जोन के विकासक के विद्युत संयंत्र या यूनिट के केप्टिव विद्युत संयंत्र या डीजल जेनरेटिंग

सेट को विशिष्ट शर्तों के तहत विद्युत सृजन हेतु प्रयोग होने वाले उपभोज्य और कच्चे माल पर शुल्क के भुगतान पर डीटीए को हस्तांतरित किया जा सकता है, नियम को स्थगन में रखा गया है और वर्तमान में सीमा शुल्क की वसूली केवल सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार की जा रही है। बैंक गारंटी के संबंध में, मामला आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए विचारधीन है।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 6 जून 2010 से स्थगन में रखा गया था और आस्पष्टता/विसंगति का निपटान चार वर्षों के बाद भी नहीं किया जा सका। नियम के अभाव में, राजस्व हानि के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता।

5.23 शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार के तहत एग्जिट की गलत अनुमति

सेज नियमावली के नियम 74 के अनुसार डीसी एक यूनिट को सेज से एग्जिट की अनुमति एफटीपी के तहत प्रचालित ईपीसीजी (निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल) के तहत पूंजीगत माल पर शुल्क के भुगतान पर दे सकता है बशर्ते वह यूनिट उस योजना के तहत योग्यता मानदंडों को संतुष्ट करती है।

मै. ईस्सार स्टील लि. कासेज, गुजरात ने सेज से एग्जिट हेतु आवेदन दिया (9 सितम्बर 2009)। यूनिट को सिद्धान्तः एग्जिट आदेश दिया (17 सितम्बर 2009) और 28 सितम्बर 2010 को अन्ततः एग्जिट आदेश दिया गया था। यह पाया गया कि यूनिट ने प्रारंभ में 3 प्रतिशत ईपीसीजी योजना के तहत एग्जिट करने का फैसला लिया और उसे तीन ईपीसीजी अधिकार पत्र पहले से ही जारी कर दिए गए थे जिनमें से पहला यूनिट द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया गया था।

प्रारंभ में ईपीसीजी के तहत एग्जिट के अनुप्रयोग के समय, यूनिट के अन्तिम उत्पाद ईपीसीजी योजना के शून्य शुल्क के पात्र नहीं थे। तथापि, 23 अगस्त 2010 को घोषित नई एफटीपी में, इसे ईपीसीजी योजना के शून्य शुल्क के लिए पात्र बना दिया गया था। यद्यपि, यूनिट को 3 प्रतिशत योजना के तहत तीन ईपीसीजी प्राधिकार पहले ही जारी कर दिए गए थे, यूनिट ने 25 अगस्त 2010 को यूनिट को नया शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार जारी करने और-पूर्व प्राधिकारों के समर्पण की सिफारिश की। यूनिट ने 25 अगस्त 2010 को

आरए को वर्तमान सभी तीन ईपीसीजी प्राधिकार समर्पित कर दिया और यूनिट को ₹ 8,344.98 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार जारी किए गए थे और ₹ 1,994.03 करोड़ के मूल्य के शुल्क की बचत हुई। यह पाया गया था कि नया ईपीसीजी प्राधिकार कम्पनी के नाम में परिवर्तन के बहाने आवेदित किया गया था। कम्पनी का नाम दिनांक 19 अगस्त 2010 द्वारा डीसी कासेज की अनुमति के अनुसार बदला गया था। इसके परिणामस्वरूप सेज यूनिट को एक बार के बजाय दो बार विकल्प प्रयोग करने की अनुमति और फलस्वरूप ₹ 257.86 करोड़ तक का अनुचित लाभ हुआ।

यह भी पता चला कि शून्य शुल्क को ईपीसीजी प्राधिकार के लिए ₹ 8344.98 करोड़ के कुल मूल्य में ₹ 403.36 करोड़ तक का माल शामिल था (1.7.2010 से 22.8.2010 के दौरान अधिप्राप्त) जिसे मूल्यांकक (मै. मिकान लि. एक भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

इसे बताए जाने पर आर ए सूरत द्वारा उत्तर (दिसम्बर 2013) दिया गया कि विभाग ने एग्जिट अनुमत करने से पूर्व सकरात्मक एनएफई मानदंड पर विचार किया था और विकल्प अन्तिम एग्जिट के लिए शून्य शुल्क प्राधिकार के रूप में विकल्प का प्रयोग एक बार किया गया था।

तमिलनाडु के संबंध में एक मामले को बाक्स सं. 14 में उजागर किया गया है जहां सक्षम प्रावधानों के अभाव में मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

बॉक्स 14: अधिसूचना समाप्ति पर शुल्क के निर्धारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित न करना

एमओसी एवं आई ने मै. फ्लैक्सट्रानिक्स टेक्नोलिजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु में एक विकासक ने 25.07 हेक्टेयर भूमि के एक भाग की अधिसूचना की समाप्ति का अनुमोदन दिया (मार्च 2013) जिसमें विकासक ने शुल्क मुक्त छूटों का लाभ उठाया था। तथापि अभी तक (मार्च 2014) विभाग द्वारा गैर अधिसूचित भूमि पर लिए गए ऐसे शुल्क मुक्त लाभ पर शुल्क देयता की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई निर्धारण नहीं किया जा सका। विकासक ने एक चार्टर्ड इंजीनियर नियुक्त किया और ₹ 4.83 करोड़ की शुल्क/कर देयता का मूल्य निकाला जिसे अभी तक वसूला नहीं जा सका क्योंकि विभाग लगभग एक वर्ष के बीच जाने के बाद भी निर्धारण करने में विफल रहा।

डीओसी ने मै. ईस्सार स्टील लि. के संबंध में अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि जब भी ईपीसीजी प्राधिकार पर शुल्क की बचत हो, परिणामस्वरूप एक निर्यात देयता निर्धारित होती है जो बचे शुल्क के कुछ गुणा होती है। तो यदि यूनिट शुल्क की अधिक राशि का बचत करता है तो निर्यात दायित्व के रूप में अधिक देयता निर्धारित की जाती है इसके अतिरिक्त यह सेज योजना से एग्जिट से दो गुणा के विकल्प अनुमत करने का मामला नहीं है। यूनिट को एक बार इपीसीजी योजना के तहत एग्जिट करना अनुमत किया गया था। यूनिट ने 3 प्रतिशत इपीसीजी योजना के तहत प्राप्त अपना पहला इपीसीजी प्राधिकार समर्पित कर दिया और जब शून्य शुल्क इपीसीजी योजना उपलब्ध हुई तो एक नया इपीसीजी प्राधिकार प्राप्त कर लिया और मै फ्लैक्सट्रानिक्स टेकनोलॉजिस के संबंध में डीओसी ने बताया कि विकासक को इपीसीजी योजना के तहत एग्जिट नहीं दिया गया था। विकासक को बीओए द्वारा सेज की आंशिक अधिसूचना समाप्ति के लिए अनुमोदन दिया गया था। बशर्ते राज्य सरकार से मंजूरी और लागू शुल्कों के भुगतान किया जाता है सेज को अभी तक आंशिक रूप से गैर अधिसूचित नहीं किया गया है और राज्य सरकार से प्राप्त सशर्त एनओसी की प्रसंस्कृत/जांच की जा रही है। यद्यपि इस संबंध में रिपोर्ट जल्द ही भेजी जाएगी।

मै. ईस्सार स्टील लि. के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूनिट ने दो बार विकल्प का प्रयोग किया है और यूनिट को तीन प्राधिकार पहले ही जारी किए जा चुके थे जिनमें से एक को आंशिक रूप से उपयोग किया गया था और दोबारा वर्तमान प्राधिकार को समर्पित करने पर शून्य शुल्क इपीसीजी प्राधिकार जारी किए गए थे जो यूनिट के लिए अधिक लाभकारी थे। जुलाई 2010 से अगस्त 2010 के दौरान अधिप्राप्त माल बिना मूल्य के पड़ा रहा जबकि इसे पूर्व अवधि के लिए मूल्यांकित करना अपेक्षित था। मै. फ्लैक्सट्रानिक्स टेकनोलॉजिस के संबंध में अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

5.24 फैंक्ट्री गेट के अलावा अन्य परिसर में माल की जांच

सेज नियमावली के नियम 27 के उपनियम 11 की शर्तों में किसी भी माल के आयात या निर्यात या डीटीए से अधिप्राप्त माल की जांच सेज गेट या यदि वह संभव नहीं है तो ऐसे क्षेत्र में जो विशिष्ट अधिकारी द्वारा। इस उद्देश्य हेतु अधिसूचित हो पर की जाएगी और यूनिट के परिसर में किसी प्रभार की जांच नहीं की जाएगी।

हमने जे मातादी सेज और तमिलनाडु के स्टेट इन्डस्ट्रीयल प्रमोशन कारपोरेशन (सिपकोट) श्रीपेरुम्बदूर सेज कि संबंध में पाया कि सेज में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी (एओ) संबंधित सेज गेट पर यह कार्य नहीं किन्तु अन्य सेज यूनिटों से कर रहे थे। चूंकि एओज सेज गेट से दूर से यह कार्य कर रहे थे, सेज गेट पर कोई नियंत्रण नहीं था जिसके परिणामस्वरूप गेट पर शुल्क मुक्त माल की आवाजाही की उचित निगरानी की कमी थी।

मै. डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिपकोट सेज में एक सेज यूनिट में धोखाधड़ी का एक मामला पाया गया जिसमें कुल ₹ 5.50 करोड़ के 1794 लैपटाप का गलत प्रयोग शामिल था जिनमें से ₹ 30 लाख नकद और 565 लैपटाप की वसूली की गई और जो बाद में यूनिट द्वारा बेचे गए थे। तथापि, ₹ 3.70 करोड़ की राशि के बकाया लैपटाप (1229 संख्या) की लागत की वसूली के ₹ 30 लाख के वित्तीय विवरण के नोट 47 के अनुसार भंडार से बट्टे खाते में डाला गया था।

संयोगवश सिपकोट सेज का एओ इस यूनिट से कार्य कर रहा था। तथापि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्या एओ को यूनिट में हो रही धोखा घड़ी के बारे में जानकारी दी गई थी। नतीजनक ₹ 3.70 करोड़ की राशि के मूल्य के माल जिसे बट्टे खाते में डाला गया था 12 प्रतिशत पर गणना किए गए ₹ 0.44 करोड़ की राशि को छोड़े गए शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी। माल की निकासी की उचित निगरानी और सेज गेट पर माल की आवाजाही पर नियंत्रण से ऐसी धोखाघड़ी से बचा जा सकता था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि पूरा फाल्टा जोन चारदीवारी से कवर है जिसमें 2 गेट हैं जिनकी सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी गेट पास के बिना कोई भी चीज जोन से बाहर नहीं ले जाई जा सकती।

मै. डेल इंडिया प्रा. लि के मामले के संबंध में यह बताया गया कि ऐसा पता लगा कि हेराफेरी कम्पनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई थी। यह कहा जा सकता है कि हेराफेरी आपराधिक कृत्य है जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया और इसे हेराफेरी के लिए कम्पनी को उत्तरदासी ठहराना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सेज नियमावली का नियम 75 प्रत्येक परेषण की जाँच का आदेश नहीं देता। मै. डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में सेज के एओ के कार्य के संबंध में, डीओसी ने बताया कि सिपकोट, भवन के विकासक ने सेज में सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कार्य और कर्तव्य निर्वहन हेतु उचित भवन प्रदान नहीं किया था। चूंकि सेज का 80 प्रतिशत कार्य मै डेल इंडिया प्रा. लि. से संबंधित है और यूनिट ने स्वेच्छा से आवास उपलब्ध करवाया था, सीमाशुल्क अधिकारी यूनिट के परिसर में कार्य कर रहे हैं।

तथापि सिपकोट को सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर उचित स्थान उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जिससे आने/जाने वाले काल को देखा जा सके।

लेखापरीक्षा का मत है कि सेज नियमावली 2006 के नियम 27 के उपनियम 11 के प्रावधान का इन मामलों में अनुसरण नहीं किया गया था डीओसी को गेट पर शुल्क मुक्त माल की आवाजाही की उचित निगरानी के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

5.25 व्यापारिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा मामले में डीटीए बिक्री का समावेशन

सेज नियमावली 2006 के नियम 76 के तहत स्पष्टीकरण के संदर्भ में ट्रेडिंग का अर्थ पुनः निर्यात के उद्देश्य के लिए आयात होगा, जबकि एमओसी एवं आई द्वारा दिनांक 12 मार्च 2010 को निर्देश सं. 49 द्वारा जारी निर्देश इसके विपरीत थे जो डीटीए से सेज या सेज से डीटीए में विदेशी मुद्रा से माल की ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है।

मै. अनब्लाक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे मातादी फ्री ट्रेड में एक सेज यूनिट और वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्लू जेड) ने ₹ 8.58 करोड़ के ग्रेनाइट आयात किए जिसमें ₹ 1.26 करोड़ का शुल्क छोड़ा गया था और 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 7.08 करोड़ की विदेशी मुद्रा में 100 प्रतिशत इओयूज के माल की ट्रेडिंग हुई।

चूंकि ईओयू योजना एफटीपी 2009-14 के तहत प्रशासित है जो निर्यात उत्पाद के एफओबी के 50 प्रतिशत तक डीटीए में निर्मित माल की बिक्री का प्रावधान करता है, पूरी संभावना है कि निर्माण की प्रक्रिया के बाद ट्रेडिंग माल डीटीए में शुल्क की रियायती दरों के भुगतान पर बेचा जा रहा है।

इस प्रकार, ऊपर उद्धृत निर्देश सेज यूनिटों को डीटीए में माल व्यापार के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो सेज नियमों के संबंध में प्रावधानों के विरुद्ध है। इस प्रकार, ट्रेडिंग यूनिट के संबंध में अनुमत ₹ 1.26 करोड़ की शुल्क रियायत सही नहीं है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) के सेज नियम 76, सेज अधिनियम की धारा 2(जेड) की परिभाषा के साथ पढा जाना चाहिए जहाँ यह स्पष्ट रूप से परिकल्पित है कि यह केवल विदेशी मुद्रा अर्जन के विरुद्ध होना चाहिए। सेज नियमावली 2006 के नियम 76 के अनुसार, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के उद्देश्य के लिए "ट्रेडिंग" की अभिव्यक्ति, का अर्थ है पुनः निर्यात के उद्देश्य के लिए आयात। इस प्रकार, यह स्थिति केवल आय कर छूट के उद्देश्य के लिए है। अन्यथा डीटीए से सेज और सेज से डीटीए की ट्रेडिंग अनुमत है। इसके अलावा, इओयू से माल की निकासी अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह डीटीए में है उन्हें केवल उस माल की निकासी करनी होती है जो उनके द्वारा निर्मित हो। अप्रयुक्त शेष कच्चे माल के मामले में, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है जिसमें सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों का अनुमोदन शामिल है।

उत्तर लेखपरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर उठाया गया मामला दिनांक 12 मार्च 2010 के निर्देश सं. 49 का है जिसमें विदेशी मुद्रा में सेज नियमों के विपरीत डीटीए से सेज या की ट्रेडिंग की अनुमति है।

5.26 अनाधिकृत परिचालनों¹⁶ के लिए माल और सेवाओं का उपयोग

नियम 11 के उप-नियम 9 और 10 के संदर्भ में विकासक एक सेज में भूमि बेचेगा नहीं और गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र में खाली भूमि को सामाजिक उद्देश्यों जैसे आवासीय और व्यापारिक परिसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक को जो बदले में सम्बद्ध खाली भूमि के साथ पूर्ण बुनियादी ढांचे को ऐसे उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दे सकता है। इसके अतिरिक्त विकासक या सह-विकासक प्रबंधन और कार्यालय के कर्मचारियों के लिए किन्तु सेज/यूनिटों के कर्मचारियों के लिए भी पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त सेज नियम प्रदान करते हैं कि किसी भी प्रकार के ऐसे बुनियादी ढांचे के अलावा या इसके अतिरिक्त निर्माण किसी छूट रियायत और फिरती का पात्र नहीं होगा।

सेज नियमावली 2006 के नियम 25 के संदर्भ में, जहां उद्यमी या विकासक प्राधिकृत संचालन हेतु माल या सेवा का उपयोग नहीं करते, वह विभिन्न अधिनियमों के तहत अन्य किसी कार्रवाई के बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के ली गई छूटों, फिरती उपकरण और रियायतों के लाभ के बराबर राशि वापिस करेगा।

क) महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी सेज चेंगलपट्टूर, तमिलनाडु में तीन सह-विकासकों¹⁷ ने अप्रैल 2006 और अप्रैल 2008 के बीच आयातित/अधिप्राप्त इनपुटों और पूंजीगत माल पर शुल्क छूटों/रियायतों का लाभ लेने के बाद गैर प्रसस्करण क्षेत्र में प्राधिकृत कार्य करने के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए एलओए प्राप्त किया।

हमने पाया कि ऐसे पट्टे पर ली गई भूमि पर सह-विकासकों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों को जोन के प्राधिकृत संचालन से असंबद्ध व्यक्तियों को सेल

¹⁶ सेज क्षेत्र में आवासीय फ्लैटों की बिक्री पर तमिलनाडु राजस्व क्षेत्र की 2013 की प्रतिवेदन सं. 1 में 4.9.11 (अध्याय IV) द्वारा एक पैरा सम्मिलित किया गया है जिसमें पंजीकरण प्रभारों के रूप में ₹ 8.68 करोड़ की मात्रा निर्धारित की है। तथापि, यहां हम विकासकों द्वारा गलत तरीके से लिए गए अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों की मात्रा निर्धारित कर रहे हैं।

¹⁷ महिन्द्रा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लिमिटेड, महिन्द्रा रेजिडेंशियल डेवलपर्स लिमिटेड और महिन्द्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड (महिन्द्रा गेस्को)

डीड को स्थायी पट्टा समझौते के रूप में 99 वर्षों के पट्टा अवधि के साथ मूल्यवान प्रतिफल की प्रप्ति पर बेचा गया था। सह-विकासकों का यह कार्य उपयुक्त उल्लिखित सेज नियमों का उल्लंघन था और इसलिए आयातित अधिप्राप्त इनपुटों और पूंजीगत माल पर ₹ 7.83 करोड़ तक का शुल्क छूट के लाभ के लिए अयोग्य है, जिसकी वसूली करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, ₹ 7.09 करोड़ तक के बिक्री कर/वैट छूट और ₹ 8.27 करोड़ तक का सेवा कर विकासक से लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

(ख) इसी प्रकार चेन्नूर, तमिलनाडु में एक अन्य विकासक (न्यु चैन्नई टाउनशिप प्रा. लि.) ने 23 मई 2007 को एक इंजीनियरिंग क्षेत्र और दूसरा बहुल सेवा सेज की स्थापना के लिए दौ औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किए। विकासक को प्रत्येक सेज के गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र 7500 आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण की अनुमति थी।

हमने पाया कि विकासक ने दोनो सेज के गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र में 4620 और 2068 अपार्टमेंट का निर्माण प्रस्तावित किया था, जिनमें से क्रमशः 300 और 280 अपार्टमेंट पूरे हो गये थे। विकासक ने एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान के प्रति 99 वर्षों की स्थायी पट्टा अवधि के लिए पट्टेदारों के साथ पट्टा विलेख किया, जोकि जोन के प्राधिकृत परिचालनों से संबंधित नहीं थे और नियम 11 में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में थे।

इसके अतिरिक्त विकासक द्वारा वितरित आवासीय अपार्टमेंटों के पर्चे/ब्रोशर की संवीक्षा से पता चला कि जोन में स्थित नौ सेज यूनिटों में निर्यात आवासीय इकाईयों की संख्या उत्पन्न वास्तविक रोजगार (लगभग 500) से कहीं अधिक है। जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपार्टमेंट्स मुख्य रूप से वाणिज्यिक लाभ हेतु बाहरवालों को बेचने के उद्देश्य से बनाए गए थे जो सेज के नियमों का उल्लंघन है।

उपरोक्त की दृष्टिगत, विकासक द्वारा किया गया संचालन अप्राधिकृत था और इस प्रकार आयातित/अधिप्राप्त ₹ 9.55 करोड़ तक के इनपुटों पर शुल्क छूटों और पूंजीगत माल का लाभ अनुचित है जो कि लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

इसके अतिरिक्त, लिए गए ₹ 9.53 करोड़ तक के बिक्रीकर/वैट छूटों और दी गई सेवाओं के लिए ₹ 3.03 करोड़ तक का सेवा कर भी लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि गलत तरीके से शुल्क की वसूली के लिए मांग, एससीएन जारी करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी सेज और न्यू चैन्नई टारुनशिप लि के तीन सह-विकासकों के विरुद्ध सेज से अंसबद्धित व्यक्तियों को आवासीय यूनिटों के अवैध आवंटन के संबंध में एफटी डीएंगआर अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्तिम परिणाम सूचित कर सकते हैं।

5.27 लागत वसूली प्रभारों की वसूली में विफलता

दिनांक 16 सितम्बर 2010 के सेज दिशानिर्देशों के साथ पठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक के 17.06.2010 के का ज्ञा सं. 6/8/2009 स्था. पे-11 में बताया है कि अधिकृत सेज में संस्वीकृत और तैनात स्टाफ के वेतन और भत्तों के सभी व्ययों की लागत की वसूली विकासकों से संग्रहित की जाएगी।

हमने पाया कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 59 विकासकों के सन्दर्भ में जून 2013 में ₹ 4.63 करोड़ की राशि बकाया थी।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिमेन्ट टर्मिनल (आईसीटीटी) वल्लरदपम सेज में आयात/निर्यात कार्गो की सुरक्षा का मामला, और आईसीटीटी में तैनात अधिकारियों के लिए वसूली प्रभारों की लागत असमायोजित पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा का मत है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गतिविधियों के लिए अनुमोदन प्रसंस्करण क्षेत्र में परिचालन के अनुरूप नहीं है जिससे सेज यूनिटें अचल सम्पत्ति व्यवसाय स्थापनाएं बनने से बच जाएं।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि अतिरिक्त प्रभार के आधार पर प्राइवेट एईजेडजेड में अधिकारियों की तैनाती के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निजी सेज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के विकास की जांच करने के लिए (विशेष रूप से निर्माण) अधिकारियों को विद्यमान ड्यूटी के अतिरिक्त तैनात किया गया है। किसी विकासक के लिए मांग उठाना संभव प्रतीत नहीं होता है जब विकासक की कम से कम यूनिट परिचालित होती है तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की भर्ती विद्यमान मानदण्डों के अनुसार नियमित की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा उदाहरण के अनुसार सम्बन्धित विकासक की परियोजना मूर्त नहीं की गई तथा सेज लागत वसूली प्रभार के प्रति मांग उठाने में परिचालित नहीं थी, हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार वसूली के लिए अनुपातिक लागत का अनुसरण किया जाएगा। वसूली हेतु कार्रवाई सन्दर्भित जोनो द्वारा पहले से ही शुरू की गई है। देयों के अनुसार राशि की वास्तविक वसूली के बारे में शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्तिम परिणमों को सूचित कर सकती है।

5.28 बकाया पट्टा किराया, जल प्रभार और अनुरक्षण प्रभार

सेज अधिनियम 2005 की धारा 34(1) ओर (2) में अनुबन्धित है कि सेज प्राधिकारी विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए उचित उपाय कर सकती है जिसके लिए उसका गठन किया गया है। प्राधिकरण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तरदायी होगा और प्राधिकरण की सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए प्रयोक्त या सेवा प्रभार या शुल्क या किराया लगा सकती है।

हमने आंध्र प्रदेश, गुजरात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में संबंधित सेज प्राधिकरणों के अभिलेखों से पाया कि प्राधिकरण द्वारा यूनिट धारकों को दी गई विभिन्न सेवाओं अर्थात् पट्टा किराया, सेवा प्रभार, अनुरक्षण प्रभार इत्यादि के कारण जून 2013 तक ₹ 49.33 करोड़ की राशि लम्बित पड़ी हुई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जून 2014) कि पट्टा किराया, सेवा प्रभारों और अनुरक्षण प्रभारों को उन मामलों को छोड़कर जो निर्णयाधीन हैं या

बीआईएफआर के अंतर्गत पंजीकृत हैं, नियमित रूप से निगरानी/वसूल किया जा रहा है। समग्र प्रयास संबंधित कलेक्टर/जिला न्यायधीश को वसूली प्रमाणपत्र जारी करने सहित देयताओं की वसूली के लिए किए जा रहे हैं।

डीओसी अंतिम परिणाम की सूचना लेखापरीक्षा को देगा।

5.29 स्टैम्प शुल्क के भुगतान पर छूट-बकाया की वसूली करने में विफलता

सेज अधिनियम, 2005 की धारा 57 के माध्यम से संशोधित भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 प्रावधान करता है कि विकासक या यूनिट द्वारा या उनकी तरफ से या पक्ष में कार्यान्वित किसी उपकरण के संबंध में या विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य की पूरा करने के संबंध में कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

जुलाई 2009 में जारी एमओसीएण्डओई के निदेश अनुबंध करते हैं कि यदि सेज को अनुमोदन में एमओसीएण्डआई द्वारा बताए गए समय में अंदर शुरू नहीं किया जाता या, यदि सेज अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो राज्य सरकार विकासक से स्टैम्प शुल्क की रियायत और उसकी वसूली की हकदार होगी।

हमने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आठ मामलों में पाया कि पट्टा विलेख के पंजीकरण के समय प्राप्त की गई स्टैम्प शुल्क छूट को डी-नोटिफिकेशन पर वसूल नहीं किया गया था जिससे संबंधित राज्यों को ₹ 8.56 करोड़ की हानि हुई। मै. विवो-बायोटेक और मै. मेटास वेंचर्स के मामले में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्टैम्प शुल्क पर प्राप्त छूट की गणना के बिना एमओसी जारी कर दी थी।

डीओसी ने वेल्सपन अन्जार सेज के संबंध में बताया (जून 2014) कि विकासक ने स्टैम्प शुल्क रियायत के लाभ के प्राप्त कि बिना सीधे भूमि खरीदी थी और सेज की अधिसूचना के बाद भूमि को पट्टे पर लेने के लिए यूनिटों के साथ करार किया था। यह कथित पट्टे पर स्टैम्प शुल्क का मामला है। लेखापरीक्षा ने एग्जिट के लिए औपचारिकाताओं को पूरा करते समय इंगित किया कि विकासक ने कथित स्टैम्प शुल्क वापस नहीं किया था। इस प्रशासन ने औद्योगिक आयुक्त, गांधीनगर से एनओसी प्राप्त किया था जिसमें अपर

पर्यवेक्षक स्टैम्प शुल्क एवं मूल्य निर्धारण विभाग द्वारा जारी लौटाए गए स्टैम्प शुल्क के बारे में एनओसी सलंगन है। लेखापरीक्षा आपत्ति को उचित जवाब के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।

जहां तक मै. आईवीआर प्राइम के डी-नोटिफिकेशन का संबंध है, यद्यपि, एलओए समाप्त हो चुकी है फिर भी सेज को अभी तक डी-नोटिफाइड नहीं किया गया है। स्टैम्प शुल्क को सेज की डी-नोटिफिकेशन से पूर्व वसूल किया जाएगा। जहां भी सेज को डी-नोटिफाइड किया गया है, सभी शुल्कों को स्टैम्प शुल्क सहित वसूल कर लिया गया है।

श्री सीटी सेज के संदर्भ में, डीओसी ने कहा कि दिनांक 25.06.2008 के स्टेट स्पोर्ट एग्रीमेंट, एपी सरकार के अनुसार 'जीओएपी 'परियोजना' के रूप में संदर्भित एकीकृत रूप से सेज तथा डीटीए दोनों के निर्माण के लिए सहमत हुए थे। यह 'विशेष निवेश क्षेत्र' के अन्तर्गत सभी सेज तथा संलग्न डीटीए के रूप में अधिक पूर्ण रूप से परिभाषित के अनुसार 'लैंड' शब्द की परिभाषा तथा व्याख्या के तहत भी कहा जाता है। वह श्री सीटी सेज (बहु उत्पाद) के विकासक के अनुरोध पर आधारित कारण था जिससे जीओएपी के लिए स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान का आग्रह किए बना दी-नॉटिफिकेशन के लिए बीओए को सिफारिश की गई थी। इरादा यह होगा कि भूमि को पूर्ण रूप से डीटीए में औद्योगिक यूनिटों के लिए उपयोग/आंवटित किया जाएगा जिससे वह उद्देश्य जिसके लिए विकासक को भूमि आबंटित की गई थी, पूरा होगा।

डीओसी लेखापरीक्षा को अन्य मामलों के उत्तर प्रस्तुत कर सकता है।